प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2020-21

छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते

वाणिज्य एवं उद्योग
तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के बजट पर चर्चा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री एवं उद्योग मंत्री

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हितग्राही को अनुदान प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020-21

वाणिज्य एवं उद्योग

तथा

सार्वजनिक उपक्रम विभाग

पी.पी.पी. मॉडल से इथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु अनुबंध निष्पादन समारोह

माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के पहले आधुनिक खाद्य संयंत्र से
फ्रोजन फूड प्रोडक्ट का विदेशों में निर्यात कन्साइंटमेंट को हरी झंडी दिखाते हुए

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2020-21

वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

मंत्रालय	
विभागीय मंत्री	माननीय श्री कवासी लखमा
अपर मुख्य सचिव (वाणिज्य एवं उद्योग- रेल परियोजनाएं)	श्री सुब्रत साहू, IAS
प्रमुख सचिव	श्री मनोज कुमार पिंगुआ, IAS
संयुक्त सचिव	श्री अनिल टुटेजा, IAS
	श्री अनुराग पाण्डेय, IAS
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	श्री आलोक त्रिवेदी
अवर सचिव	श्री कमलेश बंसोड़
विभागाध्यक्ष	
उद्योग संचालनालय	श्री अनिल टुटेजा, संचालक उद्योग, IAS
फर्म्स एवं संस्थाएं	श्री हिम शिखर गुप्ता, पंजीयक, IAS
वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	श्री गुंजन शुक्ला, प्रभारी मुख्य निरीक्षक
विभाग के बोर्ड एवं निगम	
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	अध्यक्ष - माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
	संयोजक - श्री मनोज कुमार पिंगुआ, IAS
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष - माननीय श्री कवासी लखमा
	प्रबंध संचालक - श्री अरूण प्रसाद पी., IFS
छत्तीसगढ़ रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष- श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव, IAS
	प्रबंध संचालक - श्री डी.के. प्रधान (प्रभारी)

राज्य में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली इकाई की स्थापना के लिए निष्पादित एमओयू का एक दृश्य

हितग्राही को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

विषय सूची

		पेज नं.
	भाग - 1	
1.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	01-13
2.	उद्योग संचालनालय	14-27
3.	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	28-29
4.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	30-33
5.	विभाग के अंतर्गत आने वाले बोर्ड/उपक्रम	
	(अ) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	34
	(ब) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	35-48
6.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल परियोजनाएं प्रकोष्ठ)	49-52
7.	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	53
	भाग - 2	
8.	बजट	54-56
	भाग - 3	
9.	योजनाएं	57-94
	भाग - 4	
10.	परिशिष्ट	95-102

जिला स्तरीय कार्यशाला (उद्यम समागम) में दीप प्रज्ज्वलित करते हुए माननीय मंत्री, स्थल - बेमेतरा

सुदूर ग्रामीण अंचल में विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं से
ग्रामीणों को अवगत कराते हुए शिविर का एक दृश्य

भाग–1
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास में औद्योगीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रमुख दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। राज्य में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के उद्देश्य से उद्यमियों को सुविधाएं, विभिन्न छूट एवं अनुदान प्रदान कर उद्योग स्थापना व स्थापित उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम'', ''मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना'' व ''स्टार्ट अप योजना'' का क्रियान्वयन कर तथा ''प्रधानमंत्री मुद्रा योजना'' तथा ''स्टैण्ड अप योजना'' में नोडल विभाग का कार्य कर, बेरोजगारी को दूर करने एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। देश–विदेश में औद्योगिक नीति का प्रचार–प्रसार कर, निवेश आकर्षित करने तथा निर्यात संवर्धन को बढ़ावा दिये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा महिलाओं व तृतीय लिंग के लिए औद्योगिक नीति में विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर राज्य के सभी वर्गों के समन्वित व समेकित विकास को आधार प्रदान किया जा रहा है।

1.1 विभाग के दायित्व

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मुख्य दायित्व निम्नानुसार है–

(अ) नीति संबंधी विषय

1. व्यापार एवं वाणिज्य.
2. वस्तुओं का उत्पादन.
3. एकस्व, आविष्कार, रूपांकन, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह तथा पण्य चिन्ह.
4. शुल्क सीमांतों को पार करने वाले आयात और निर्यात.

राज्य में स्थापित कृषि उपकरण निर्माण का दृश्य

5. महाजनी (बैंकिग) कम्पनियों को छोड़कर अन्य कंपनियां.
6. अनिर्गमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक तथा अन्य संस्थाएं और संघ.
7. बीमा.
8. वाष्पयंत्र.
9. भण्डार.
10. विस्फोटक.
11. डाक घर बचत बैंक.
12. डाक तथा तार, बेतार तथा दूरभाष, जिसमें सरकारी दूरभाष (टेलीफोन) सम्मिलित नहीं है.
13. सीमा शुल्क जिसमें निर्यात शुल्क सम्मिलित है.
14. विनिमय पत्र, चैक, वचन–पत्र और ऐसी ही अन्य लिखतें.
15. उद्योगों की राज्य सहायता.
16. राज्य उद्योग तथा औद्योगिक सहकारी सोसाइटियां (ग्रामोद्योग से संबंधित औद्योगिक सहकारी सोसाइटियों तथा सहकारिता विभाग की मद क्रमांक –2 को छोड़कर)
17. उद्योगों का विकास जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाएं तथा लघु उद्योग (ग्राम तथा कुटीर उद्योग को छोड़कर) है.
18. शासकीय केन्द्रीय कर्मशाला.
19. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, व्यापार, संघ तथा न्याय.
20. विलोपित.
21. हड्डी, हड्डी के चूरे, खाद मिश्रण और हड्डी तथा हड्डी के चूरें से बने हुए सुपर फास्फेट पर नियंत्रण
22. फर्नेस आइल.
23. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध समस्त विषय जिनका विभाग से संबंध है (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ–नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।
24. रेल–इसमें नई रेल्वे लाईनों के प्रस्ताव और इनका निर्माण शामिल है।

(ब) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम, नियम तथा भारत सरकार द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम जिसके तहत विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है :-

1. सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 यथा संशोधित 2020
2. औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951

3. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 यथा संशोधित 1998
4. भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932
5. वाष्पयंत्र अधिनियम, 1923
6. छत्तीसगढ़ उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम, 1959.
7. छत्तीसगढ़ सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1978
8. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002
9. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2004
10. छत्तीसगढ़ सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम, 2017
11. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित)
12. छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015(यथासंशोधित)

(स) विभाग में प्रचलित नीतियां

1. औद्योगिक नीति 2019–24
2. छत्तीसगढ़ आर्थिक प्रक्षेत्र नीति 2010
3. छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पार्क नीति 2018–23
4. छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन

(द) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के लिये प्रशासित सेवा नियम

1. छत्तीसगढ़, राज्य उद्योग (राजपत्रित सेवा), सेवा भर्ती नियम 1985
2. छत्तीसगढ़, राज्य उद्योग (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा भर्ती नियम, 1987
3. छत्तीसगढ़, राज्य उद्योग (तृतीय वर्ग कार्यपालिक सेवा) सेवा भर्ती नियम 2007
4. छत्तीसगढ़, राज्य उद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007
5. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सेवा भर्ती नियम 2011
6. छत्तीसगढ़, राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (अराजपत्रित) सेवा तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007
7. छत्तीसगढ़, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2012
8. छत्तीसगढ़, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित सेवा) सेवा भर्ती नियम, 2013
9. छत्तीसगढ़, फर्म्स एवं संस्थाएं (तृतीय वर्ग सेवा) सेवा भर्ती नियम, 2006
10. छत्तीसगढ़, फर्म्स एवं संस्थाएं (राजपत्रित सेवा), सेवा भर्ती नियम 2007
11. छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (चतुर्थ वर्ग) सेवा भर्ती नियम, 2012

(ई) सार्वजनिक उपक्रम विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. नीति –क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली–इन दोनों से संबंधित सामान्य पथ–प्रदर्शन रेखाओं के व्यवस्थापन से सम्बद्ध विषय
2. निगमों के सर्वोपरि प्रबंधकीय पदों पर नियुक्तियां
3. निगमों की सामान्य समस्याएं
4. प्रबंध पद्धतियों, प्रबंध प्रक्रियाओं, रिर्पोटिंग पद्धतियों का समन्वयन

1.2 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

1	स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग		
	(जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक)	संख्या	537
		रोजगार	5734
		पूंजी निवेश (रू. करोड़ में)	677.59
2	राज्य गठन के पश्चात् स्थापित मध्यम–वृहद		
	उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट	संख्या	261
	(1 नवम्बर 2000 से दिसम्बर, 2020 तक)	रोजगार	53,418
	(उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त)	पूंजी निवेश (रू. करोड़ में)	78,831.49
3	उद्योग संचालनालय के नियंत्रणाधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या (राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, सरगुजा, कोरिया, जगदलपुर, जशपुरनगर, सूरजपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर)		27
4	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, कबीरधाम, सरगुजा, जांजगीर–चांपा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सूरजपुर, कांकेर, धमतरी, बलौदाबाजार–भाटापारा, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही)		26
5	स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क		04
	1– मेटल पार्क (फेस–1 एवं 2)–रावाभाटा, जिला–रायपुर		
	2– इंजीनियरिंग पार्क–भिलाई, जिला–दुर्ग		
	3– फूड पार्क ग्राम– बंजारी–बगौद, जिला धमतरी		
	4– इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, नवा रायपुर अटल नगर		

6	विभाग के अधीन स्थापित उत्पादन इकाईयां	02
	1– फर्नीचर वर्क्स अभनपुर, जिला–रायपुर	
	2– कृषि उपकरण कारखाना भिलाई, जिला–दुर्ग	
7	राज्य में स्थापित बायलरों की संख्या	1448
8	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन राज्य पंजीकृत समितियों की संख्या	1,03,714
9	भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत फर्म संख्या	36,290
10	छत्तीसगढ़ से निर्यात	
	वर्ष 2020–21 (अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020) राशि (रू. करोड़ में)	11,832.42
11	राज्य गठन के पश्चात् से निष्पादित प्रभावी एम.ओ.यू. (ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, 2012 में निष्पादित एम.ओ.यू. को छोड़कर) –	
	संख्या	287
	प्रस्तावित पूंजी निवेश (रू. करोड़ में)	3,10,371.52
	सृजित स्थाई पूंजी निवेश (रू. करोड़ में)	78,938.50
	एम.ओ.यू. में उत्पादन प्रारंभ नवीन एवं विस्तारित परियोजनाएँ	68
12.	राज्य में रेलवे लाईन – (पूर्व स्थापित 1186 रूट कि.मी.) व नवीन 105 कि.मी.,	कुल 1291 कि.मी.
13.	राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या–	26

फूडपार्क हेतु चिन्हांकित भूमि का अवलोकन करते हुए प्रमुख सचिव महोदय स्थल चांदो, जिला बलरामपुर

1.3 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस (Ease of Doing Business)

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा **EoDB** के तहत कराए जा रहे सुधारों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष **2019 में देश के टॉप अचीवर्स राज्यों में रहा है।**

Business Reform Action Plan- 2020

वर्ष 2020 में Ease of Doing Business के तहत 305 सुधार बिन्दुओं की सूची जारी की गई है, जो कि राज्य के **23 विभागों** एवं संस्थाओं से संबंधित है।

मुख्य सचिव, महोदय छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में उद्यमियों/निवेशकों के लिये आवश्यक सभी लायसेंस/अनुमति/ सम्मति आदि के आवेदन तथा निराकरण केवल ऑनलाईन प्रणाली एवं केवल वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सिंगल विन्डो प्रणाली के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इन सेवाओं की ऑफलाईन प्रक्रिया को पूर्णतः बन्द किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

Ease of Doing Business के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा लागू किये गये प्रमुख सुधार एवं अन्य विभागों से कराए गए प्रमुख सुधार निम्नानुसार हैं-

1.	उद्योग विभाग एवं सी.एस.आई. डी.सी लिमिटेड	1. उद्योग विभाग द्वारा Single Window System के माध्यम से विभिन्न विभागों की 43 सेवाओं को Online प्रदाय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 30 अन्य सेवाओं को भी Single Window System से संयोजित किया जा रहा है। 2. Single Window System के माध्यम से इन सभी 43 सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान Online करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति/पंजीयन आदि Online डाउनलोड करने की सुविधा प्रदाय की गई है। 3. "उद्यम आकांक्षा" Online निःशुल्क, बिना किसी संलग्नक के एवं स्वप्रमाणन के आधार पर तुरंत जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 55,000 से अधिक उद्यम आकांक्षा जारी किये जा चुके हैं। 4. उद्योग स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक समस्त अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। कोई भी निवेशक अपने योजना के अनुसार लगने वाले अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है।

		5. उद्योग से संबंधित सभी शंकाओ के समाधान करने हेतु विशेष टोल फ्री नंबर– 1800 233 3943 विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है तथा समस्याओं के निराकरण हेतु Grievance redressal प्रणाली विकसित की गई है। 6. CSIDC द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन पूर्णतः ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है। 7. प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों हेतु उपलब्ध भूमि GIS पद्धति के माध्यम से देखने की सुविधा प्रदान की गई है जिसका उपयोग करके कोई भी निवेशक पर्यावरण की दृष्टि से लाल, नारंगी, हरी या सफेद श्रेणी के उद्योगों हेतु उपलब्ध भूमि, आस–पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं जैसे की सड़क, नाले, नहर, विद्युत आपूर्ति आदि की जानकारी GIS पर आधारित नक्शे में देख सकते हैं। 8. औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिये आवेदन की भी ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 9. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतें औद्योगिक इकाईयों को ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है। 10. सरकारी खरीद में पारदर्शिता व स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु ई–मानक पोर्टल प्रारंभ किया गया है। 11. सूचना की सुलभता एवं पारदर्शिता हेतु विभाग की एकल खिड़की प्रणाली में पब्लिक डोमेन में प्रकरणों के निराकरण की स्थिति प्रदर्शित की जा रही है। जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।
2.	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय	1. वाष्पयंत्र के पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 2. बॉयलर नवीनीकरण के लिये सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। कुल 315 बॉयलरों का नवीनीकरण सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से किया जा चुका है। 3. बॉयलर उत्पादनकर्ता के पंजीयन तथा नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 4. बॉयलर निरीक्षण हेतु केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली विकसित की गई है।

3.	नगरीय प्रशासन विभाग	1. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु AutoCAD पर आधारित ऑनलाईन आवेदन की प्रणाली लागू की गई है। कुल 43,112 आवेदन इस प्रणाली के माध्यम से निराकृत किये गये हैं। 2. छत्तीसगढ़ के भवन निर्माण अनुज्ञा की ऑनलाईन प्रणाली को DPIIT द्वारा Best Practice का दर्जा दिया गया है। 3. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण की प्रणाली GPS पर आधारित है। यह प्रणाली लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है। 4. भवन निर्माण अनुज्ञा की सिंगल विन्डो प्रणाली के माध्यम से अन्य विभागों की NOC जैसे– विमानन प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग आदि हेतु आवेदन की व्यवस्था लागू की गई है। 5. संपत्ति पंजीयन व संपत्ति कर की ऑनलाईन व्यवस्था की गई है। 6. ट्रेड लायसेंस प्रदाय की ऑनलाईन व्यवस्था निर्मित की जा रही है।
4.	नगर तथा ग्राम निवेश विभाग	1. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु भवनों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। 2. भवन निर्माण के पूरा होने के चरणों के दौरान लागू प्रमाणन के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लागू की गई है। 3. भूमि उपयोग परिवर्तन, निर्माण अनुमति, यूनिफार्म बिल्डिंग कोड की ऑनलाईन व्यवस्था निर्मित की जा रही है।
5.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	1. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति तथा परिसंकटमय अपशिष्ट नियमों के अंतर्गत अनुज्ञा के आवेदन की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 2. सफेद श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना एवं संचालन सम्मति लेने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है। 3. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति को स्व प्रमाणन के आधार पर नवीनीकरण की व्यवस्था लागू की गई है।

	4. प्रथम स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति की वैधता 5 वर्ष कर दी गई है। 5. नारंगी श्रेणी को नियतकालिक निरीक्षण के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है। 6. सफेद एवं हरा श्रेणी के उद्योगो को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। 7. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है।
6. श्रम विभाग	1. समस्त श्रम कानूनों के तहत एकीकृत विवरणी दाखिल की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 2. फैक्ट्री लायसेन्स एवं उसकी नवीनीकरण की वैधता अधिकतम 10 वर्ष की गई है। 3. उद्योगों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है एवं निम्न जोखिम के उद्योगों को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। 4. मध्यम जोखिम वाले उद्योगों के लिये विभागीय निरीक्षण की अनिवार्यता से मुक्त करते हुये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है। 5. समस्त श्रम कानूनों के तहत संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। 6. विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है। 7. दुकानों एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत गुमास्ता लायसेंस हेतु निरीक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

7.	ऊर्जा विभाग	1. उद्योग के लिये विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटाकर केवल 2 कर दी गई है। 2. विभाग की वेबसाईट के माध्यम से नवीन विद्युत कनेक्शन के लिये भुगतान की जाने वाली राशि की गणना करने की सुविधा प्रारंभ की गयी है। 3. विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने की समय–सीमा 7 दिवस (जहाँ राइट–ऑफ वे लेने की आवश्यकता नही है) तथा 15 दिवस (जहाँ राइट–ऑफ वे लेने की आवश्यकता है) निर्धारित की गई है।
8.	पंजीयन विभाग	1. भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु आवश्यक डीड/करार के नमूने विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये हैं। 2. भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु ई–स्टॉम्प की सुविधा प्रदाय की गई है। 3. पंजीयन, राजस्व तथा शहरी विकास प्राधिकरण के मध्य एकीकरण कर सम्पत्ति के संबंध में तीनों विभागों से संबंधित जानकारी एक ही वेबसाईट के माध्यम से सर्च करने हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की जा रही है। 4. सम्पत्ति पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 5. विगत तीन वर्षों के समस्त भूमि पंजीयन के दस्तावेज डिजिटल करवाये जाकर उनकी स्कैन प्रति ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है। विगत दस वर्षों के दस्तावेज डिजिटल करने की कार्यवाही की जा रही है। 6. सम्पत्ति पंजीयन हेतु पैन/आधार नंबर के द्वारा सत्यापन की सुविधा लागू की गई है। 7. नामांतरण की सुविधा को पंजीयन से एकीकृत कर नामांतरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। 8. पंजीयन हेतु सम्पत्ति के मूल्यांकन के अनुसार लागू पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की गणना वेबसाईट के माध्यम से की जा सकती है।
9.	वाणिज्यिक कर विभाग	1. जी.एस.टी के अंतर्गत करदाता द्वारा दाखिल किये जाने वाले ई–फाईलिंग के संबंध में सहयोग हेतु हेल्पलाईन नंबर तथा प्रत्येक जिले में सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

		2. स्टेट जी.एस.टी के अंतर्गत Advance Ruling हेतु Appellate का गठन तथा आवेदन के संबंध में समस्त जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है।
10.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	1. उद्योग स्थापना हेतु वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 2. वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करने की समय सीमा घटाकर 48 घंटे की गई है एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, आवेदक को भी ऑनलाईन देखने की सुविधा प्रदाय की गई है। 3. वृक्षों का प्रजातियों के आधार पर उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम की श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। 4. भूमि संबंधी विवादों की न्यायिक डेटाबेस (राजस्व) के साथ भूमि रिकार्ड डेटाबेस को एकीकृत किया गया है जिसके माध्यम से किसी भूमि पर चल रही विवाद की स्थिति स्वतः ऑनलाईन अपडेट होने की सुविधा लागू की गई है। 5. व्यपवर्तन प्रकरणों के निराकरण को सरलीकृत करते हुए कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन व अन्य) हेतु सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचित किया गया है।
11.	विधि विभाग	1. वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के लिये छत्तीसगढ़ राज्य में देश के प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना की गई है। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। 3. ई–फाईलिंग एवं ई–सम्मन की सुविधा भी वाणिज्यिक न्यायालय में प्रदाय की गई है एवं न्यायिक फैसले डिजिटल साईन के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं जो कि वाणिज्यिक न्यायालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं। 4. ई–फाईलिंग हेतु कोर्ट फीस तथा प्रोसेस फीस का भुगतान ऑनलाईन करने की सुविधा लागू की गई है।
12.	वन विभाग	1. काष्ठ परिवहन की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गयी है। 2. काष्ठ परिवहन की अनुमति की वैधता के ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा प्रारंभ की गयी है। 3. शासकीय काष्ठगार हेतु काष्ठ परिवहन के अनुज्ञा पत्र की कुल 2632 आवेदन का निराकरण ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है।

		4. पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु काष्ठ परिवहन के अनुज्ञा पत्र की कुल 2313 आवेदन का निराकरण ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है।
13.	नापतौल विभाग	1. नापतौल विभाग के अंतर्गत पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रणाली प्रारंभ की गयी है। 2. पंजीयन प्रमाण–पत्र के वैधता की ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा प्रारंभ की गयी है। 3. निरीक्षण प्रतिवेदन 48 घंटे के भीतर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।
14.	लोक निर्माण विभाग	सड़क काटने की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है। कुल 26 आवेदन ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं।
15.	खाद्य एवं औषधि विभाग	औषधि निर्माण एवं विक्रय की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गयी है।
16.	वित्त विभाग (कोष एवं लेखा)	राज्य में लगने वाले समस्त करों की जानकारी एवं उनके ऑनलाईन भुगतान, ऑनलाईन रिटर्न फाइल करने की सुविधा हेतु पोर्टल विकसित किया गया है, जिसकी सहायता से आवदकों/ करदाताओं को सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी।
17.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय	1. मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के अंतर्गत समस्त पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 2. चार्जिंग अनुमति हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक की ऑनलाईन प्रणाली को सीएसपीडीसीएल की वेबसाईट से संयोजित किया गया है।
18.	रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं	साझेदारी फर्म्स एवं संस्थाओं के पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। कुल 13,062 आवेदनों का निराकरण ऑनलाईन किया जा चुका है।
19.	आबकारी विभाग	FL-2, FL-3, FL-3(A), FL-4, FL-4(A), FL-5 तथा FL-5(A) लायसेंस के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है।
20.	केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली	1. औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले निरीक्षण में पारदर्शिता एवं जानकारी साझा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है जिसमें बॉयलर, श्रम विभाग एवं पर्यावरण विभाग को शामिल किया गया है।

		2. उपरोक्त विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले निरीक्षण की तिथि, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम आदि की जानकारी श्रम विभाग के केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध है। 3. सभी निरीक्षण प्रतिवेदन 24 घंटे के भीतर केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता की गई है। 4. निरीक्षण के बिन्दु, निरीक्षण प्रक्रिया आदि की जानकारी केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। 5. आकस्मिक निरीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य किया जा रहा है।
21.	गृह विभाग	1. फायर लायसेंस एवं सिनेमा हॉल लायसेंस ऑनलाईन प्रदाय हेतु ई–डिस्ट्रिक के माध्यम से प्रणाली निर्मित की गई है। 2. फायर लायसेंस एवं सिनेमा हॉल लायसेंस को उद्योग विभाग के सिंगल विंडो प्रणाली से जोड़ा जा रहा है।
22.	संस्कृति विभाग	1. मूवी शुटिंग लायसेंस प्रदाय हेतु ऑनलाईन प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन तथा संस्कृति विभाग संयुक्त रूप से एकल प्रणाली द्वारा निर्णय प्रदान करेंगे। 2. राज्य द्वारा संरक्षित मोनुमेन्ट स्थल के अंतर्गत मूवी शुटिंग हेतु लायसेंस की ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है।
23.	परिवहन विभाग	1. ट्रैव्हल्स एजेंसी के पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की जा रही है।

1.4 विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय, निगम/बोर्ड निम्नानुसार हैं:-

क्र.	कार्यालय का नाम	श्रेणी	पता
1	उद्योग संचालनालय	विभागाध्यक्ष	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
2	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	बोर्ड	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
3	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम	निगम	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
4	वाष्पयंत्र निरीक्षिकालय	विभागाध्यक्ष	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
5	पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं	विभागाध्यक्ष	इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़
6	छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	डंगनिया, रायपुर, छत्तीसगढ़

उद्योग संचालनालय

उद्योग संचालनालय ''संचालक'' के नियंत्रण में कार्यरत है तथा इसके अंतर्गत राज्य के सभी 28 जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यरत हैं। मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय प्रमुख हैं। संचालनालय एवं इसके मैदानी कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों की पद संरचना **परिशिष्ट–एक** पर संलग्न है।

राज्य शासन की प्रचलित औद्योगिक नीति 2019–24 का क्रियान्वयन ''उद्योग संचालनालय'', ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो0 लि0'' एवं ''राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड'' के माध्यम से होता है। शासन के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों तथा औद्योगिक जगत के बीच सतत् समन्वय, सुझावों के आदान–प्रदान से औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए प्रदेश की औद्योगिक स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया जा रहा है।

सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं आनुषांगिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री का भुगतान एक निर्धारित समयावधि में करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 2006 से लागू "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006" के अधीनस्थ उद्योग संचालनालय में गठित "छत्तीसगढ़ सूक्ष्म, लघु मध्यम फेसीलिटेशन कौंसिल" कार्य कर रही है।

विभाग तथा उसके अन्तर्गत उद्योग संचालनालय, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू है।

संचालनालय द्वारा वित्तीय समावेशन योजनाओं ''प्रधानमंत्री मुद्रा योजना'', ''स्टार्टअप योजना'', ''स्टैण्ड–अप योजना'', ''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम'' एवं ''मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना'' का भी क्रियान्वयन एवं समन्वय किया जा रहा है। स्टार्ट–अप योजना के अन्तर्गत भी कार्य किया जा रहा है।

(1) औद्योगिक नीति 2019-24

नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य की भौगोलिक स्थिति का अधिकतम लाभ लेकर उपभोक्ता वस्तुओं का किफायती दरों पर उत्पादन कराना, जिससे राज्य का संतुलित व समेकित विकास सुनिश्चित हो। अन्य राज्यों की तुलना में अधिकतम निवेशकों को आकर्षित करना है। राज्य में उपलब्ध वन आधारित संसाधन, वनोपज एवं औषधीय उत्पादों में मूल्य संवर्धन हेतु ''इको सिस्टम'' तैयार कराना है। उच्च प्राथमिकता/प्राथमिकता श्रेणी के अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना कराना है। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिकाधिक नए अवसर उपलब्ध कराना, कमजोर वर्ग के उद्यमियों, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं की आर्थिक उन्नति एवं आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय उद्योगों के आवश्यकता हेतु

प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। टेक्सटाईल, फार्मा उद्योग, रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग तथा जैव प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक युग के उद्योग एवं अपरम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश को आकर्षित करना। राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा का उपयोगितापूर्ण समुचित दोहन, सुदूर अंचलों में उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करना एवं अनाज तथा अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण एवं भंडारण को प्रोत्साहित करना। राज्य का सर्वांगीण आर्थिक विकास, प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना पर विशेष प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन, पर्यावरण की सुरक्षा, जेम्स एण्ड ज्वेलरी उद्योगों को प्रोत्साहन एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास करने संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 को दिनांक 1 नवम्बर, 2019 से प्रभावी की गयी है।

इस नीति के अंतर्गत समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य हेतु राज्य को औद्योगिक दृष्टि के आधार पर चार वर्गों ''विकसित क्षेत्र'', ''विकासशील क्षेत्र'', ''पिछड़े क्षेत्र'' व ''अति पिछड़े क्षेत्र'' में वर्गीकरण किया गया है। राज्य के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के सभी विकासखण्डों को पिछड़े या अति पिछड़े क्षेत्र में रखा गया है। इन क्षेत्रों हेतु अधिक आर्थिक निवेश प्रोत्साहन देकर, निवेश को इन क्षेत्रों में आकर्षित किया जा रहा है। साथ ही विकसित/विकासशील क्षेत्रों के लिए संतृप्त श्रेणी के कुछ उद्योगों को पिछड़े व अति पिछड़े क्षेत्रों में संतृप्त श्रेणी से बाहर रखा गया है।

राज्य के मूल निवासियों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने हेतु, शासन द्वारा औद्योगिक इकाईयों को दिये जाने वाले अनुदान, छूट एवं रियायतों को प्राप्त करने की पात्रता हेतु अकुशल श्रमिकों के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करने की शर्त का पालन करवाया जा रहा है।

कृषि प्रधान राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने प्रत्येक विकासखण्ड में फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु भी एक आकर्षक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। प्रत्येक जिले में उत्पादन होने वाले प्रमुख फूलों, फलों, सब्जियों एवं औषधीय वनस्पतियों के प्रसंस्करण हेतु उन्हीं जिलों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। साथ ही एफपीओ (Farmer Producers Organisations) को सामान्य वर्ग में उद्यमियों के समान सुविधाएं दी जा रही है। महिला स्व–सहायता समूह को महिला वर्ग के उद्यमियों के बराबर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र, धातु उत्पादों और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने उनके विपणन हेतु छत्तीसगढ़ ई–मार्केटिंग पोर्टल ''ई–मानक (E-MaNe-C)'' की शुरूआत की गई है। साथ ही सेवा उद्यमों को प्रोत्साहन देने एमएसएमई सेवा उद्यमों को निवेश प्रोत्साहन अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के आधारभूत (कोर सेक्टर) उद्योगों जैसे सीमेंट एवं इस्पात निर्माण को पिछड़े/अति पिछड़े क्षेत्र में समर्थन प्रदान कर राज्य को सतत् प्रगति की ओर अग्रसर किया जा रहा है।

औद्योगिक नीति 2019–24 में वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के निर्माण को पिछड़े तथा अति पिछड़े क्षेत्रों में बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 में **वनांचल उद्योग पैकेज** का समावेश किया गया है।

राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु न्यूनतम भूमि की आवश्यकता पूर्व नीति में 25 एकड़ थी। बस्तर व सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता की समस्या को देखते हुए वर्तमान नीति में इसे सरगुजा एवं बस्तर संभाग हेतु 20 एकड़ कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019–24 में स्टार्टअप इकाईयों को प्रोत्साहित करने हेतु **छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज** लागू की गई है। जिससे छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप इकाईयों को अनुदान, छूट एवं रियायतें प्रदान कर विशेष पैकेज के तहत अधिक लाभान्वित किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019–24 में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों हेतु **अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज** लागू की गई है। जिसमें अनुदान, छूट एवं रियायतों के साथ–साथ मार्जिन मनी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

कोर सेक्टर के उद्योगों (यथा स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्यूमिनियम संयंत्र) को औद्योगिक नीति 2019–24 में स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं। इन उद्योगों को उनकी मांग अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत Bespoke policy लागू की गई है।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति 2010

भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्रों के गठन एवं संचालन के लिए ''विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम 2005'' (2005 का 28 वाँ) पारित किया गया है । इसी संदर्भ में राज्य में निर्यात उत्पादन में वृद्धि हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिये राज्य शासन व्दारा ''छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति 2010'' लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा पारित ''विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नियम, 2005'' के तहत् बनाये गये नियम एवं राज्य शासन की विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति के तहत् राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र किसी भी व्यक्ति जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य शासन, निजी व्यक्ति, संयुक्त क्षेत्र में अथवा सार्वजनिक, निजी, भागीदार प्रारूप में शामिल हैं व्दारा स्थापित किए जा सकते हैं। राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र स्थापित करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग नोडल विभाग है ।

राज्य में राजनांदगांव जिले के महरूमखुर्द–चवरढ़ाल ग्राम में निजी क्षेत्र का एक विशेष औद्योगिक प्रक्षेत्र स्थापित हुआ है जिसमें "फोटो वोल्टेट मॉड्यूल" निर्माण का एक उद्योग 48 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित है।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पार्क नीति 2018-23

राज्य के औद्योगिक विकास के समानान्तर वाणिज्यिक विकास भी आवश्यक है व वाणिज्यिक विकास हेतु राज्य में आदर्श मूल्यों पर भूमि की उपलब्धता, श्रम शांति, निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, स्थापना लागत में कमी, राज्य की भौगोलिक स्थिति केन्द्रीयकृत स्थिति में होने, संवेदनशील प्रशासन, खनिज बाहुल्य प्रदेश होने से निर्माण लागत में कमी, आदि ऐसे बिन्दु हैं जिससे राज्य में वाणिज्यिक विकास की काफी संभावनाऐं हैं। सम्पूर्ण देश में 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी (एक देश एक कर) लागू होने का लाभ भी छत्तीसगढ़ को अधिक से अधिक दिलाने हेतु व्यापार एवं वाणिज्य का सुनियोजित विकास आवश्यक है।

राज्य की उपरोक्तानुसार शक्तियों, नियोजित ढंग से हो रहे औद्योगिक एवं अधोसंरचना विकास को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में वाणिज्यिक विकास को एक नया आयाम देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पार्क नीति 2018 दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रारंभ की गयी है, जिसकी कार्यावधि 31 मार्च 2023 तक है।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन

भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से ''नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग'' योजना को डिलिंक करने के कारण राज्य शासन द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत एक नयी योजना **''छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन''** राज्य में प्रभावशील है। इस योजना की कालावधि 31 अक्टूबर 2019 तक थी। राज्य शासन द्वारा लागू की गयी नवीन औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत **''छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन''** योजना की कालावधि को 01 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाया गया है। जिसके तहत कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान प्रदान की जावेगी।

(5) वर्ष 2020-21 में जारी अधिसूचनाएं एवं आदेश

क्र	विषय	अधिसूचना/प्रशासकीय आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	औद्योगिक नीति 2019–24 के बिन्दु क्रमांक–15.13 के अनुक्रम में Bespoke policy	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–105/2017/11/6, दिनांक 01.06.2020
2.	औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका क्रमांक–15.24, 15.25 एवं 15.26 का समायोजन (संशोधन अधिसूचना)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–01/2019/11/(6), दिनांक 01.06.2020
3.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम– 2015 के प्रक्रिया का सरलीकरण करने बाबत् व्यवस्था	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–47/2020/ग्यारह/(छैः), दिनांक 22.06.2020

क्र	विषय	अधिसूचना/प्रशासकीय आदेश क्रमांक व दिनांक
4.	छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (सीएसआईडीसी) द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि का क्रय नीति	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11–06/2020/11/6, दिनांक 30.07.2020
5.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम– 2015 में संशोधन (संशोधन अधिसूचना)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–47/2013/11/6, दिनांक 30.07.2020
6.	औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–2 के अनुक्रमांक–11 के पश्चात् 11.1, 11.2, 11.3 एवं 11.4 के रूप में समायोजन (संशोधन अधिसूचना)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–01/2019/11/6, दिनांक 30.07.2020
7.	छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2020) में संशोधन (संशोधन अधिसूचना)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–53/2020/11/6, दिनांक 01.09.2020
8.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम– 2015 में संशोधन (संशोधन अधिसूचना)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–47/2015/11/6, दिनांक 09.09.2020
9.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम– 2015 के अंतर्गत 'लीज होल्ड भूमि से फ्री–होल्ड भूमि करने हेतु नियम–2019'	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–47/2015/11/6, दिनांक 09.09.2020
10.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019–24 में संशोधन	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–01/2019/11/6, दिनांक 22.10.2020
11.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम– 2015 में संशोधन (संशोधन अधिसूचना)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–47/2013/11/(6), दिनांक 22.10.2020
12.	इस्पात क्षेत्र के मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–01/2019/11/(6), दिनांक 22.10.2020
13.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम– 2015 में संशोधन (संशोधन अधिसूचना)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–47/2013/11/(6), दिनांक 16.12.2020
14.	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन में संशोधन (संशोधन अधिसूचना)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–86/2015/11/(6), दिनांक 23.10.2020
15.	उच्च प्राथमिकता उद्योग हेतु न्यूनतम पूंजी निवेश निर्धारण बाबत् में संशोधन (संशोधन अधिसूचना)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–87/2019/11/(6), दिनांक 26.10.2020
16.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम– 2015 में संशोधन (संशोधन अधिसूचना)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–47/2013/11/(6), दिनांक 04.11.2020
17.	छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2020) में संशोधन (संशोधन अधिसूचना)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–70/2004/11/6, दिनांक 29.12.2020
18.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019–24 में संशोधन (वनांचल उद्योग पैकेज)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–01/2019/11/6, दिनांक 04.11.2020

(6) वित्तीय वर्ष 2020-21 में (अप्रैल 2020 से दिसंबर, 2020 तक) औद्योगिक विकास से संबंधित उपलब्धियां

6.1 वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट :-

क.	विवरण	संख्या	पूंजी विनियोजन (रू0 करोड़ में)	रोजगार
1.	स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त उद्योग)	300	462.92	3533
2.	स्थापित मध्यम–वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त उद्योग)	9	276.22	800

6.2 वर्षांत तक राज्य में स्थापित कुल उद्योगों की एकजाई जानकारी :-

क.	विवरण	संख्या	पूंजी विनियोजन (रू0 करोड़ में)	रोजगार
1.	वर्षांत तक राज्य गठन के पश्चात् कुल स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	21496	6256.50	137976
2.	वर्षांत तक राज्य में कुल स्थापित मध्यम–वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट	391	98259.55	126027

6.3 प्रस्तावित पूंजी निवेश की स्थिति -

वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना हेतु जनवरी, 2020 से दिसम्बर 2020 तक भारत शासन, उद्योग मंत्रालय में प्रस्तुत औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन (आई.ई.एम.)–

संख्या	प्रस्तावित पूंजी निवेश (रू0 करोड़ में)
51	73567.00

6.4 वर्ष 2020-21 (अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक) में औद्योगिक इकाइयों को प्रदाय की गयी अनुदान, छूट व रियायतें :-

क्र.	विवरण	संख्या
1.	ब्याज अनुदान	1016
2.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	250
3.	मार्जिन मनी अनुदान	14
4.	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत अनुदान	04

क्र.	विवरण	संख्या
5.	स्टाम्प शुल्क भुगतान से छूट प्रमाण–पत्र	473
6.	विद्युत शुल्क भुगतान से छूट हेतु अनुशंसा पत्र	19
7.	प्राथमिकता उद्योग मान्यता प्रमाण पत्र	44
8.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी (ऑनलाईन)	567
9	मण्डी शुल्क से छूट	22
7.	भू–व्यपवर्तन शुल्क से छूट	11
8.	अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत	05
	योग	2425

6.5 वर्ष 2020-21 (अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक) उद्योगों हेतु आबंटित अनुदानः-

क्र.	अनुदान का विवरण	कुल आबंटित राशि (राशि रू. लाख में)
1.	ब्याज अनुदान	3862.14
2.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	10000.00
3.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान	1.00
4.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान	1.00
5.	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी अनुदान	490.00
6.	मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान	70.00
7.	खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान	600.00
	योग	15024.14

6.6 सेमीनार/वर्कशॉप/संगोष्ठियों का आयोजन :-

नवीन औद्योगिक नीति (यथा संशोधन) तथा औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के तहत लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड किये जाने बाबत् उद्योगपतियों को जानकारी उपलब्ध कराने जिले के औद्योगिक संस्थान, दुर्ग में 15 दिसंबर 2020 को, भारी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में 17 दिसंबर 2020 एवं इंजीनियरिंग पार्क भिलाई में 28 दिसंबर 2020 को उद्योगपतियों की बैठक आयोजित किया गया। इसी प्रकार सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, मुंगेली, जशपुर, सरगुजा, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले में EODB, Start-up, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कार्यशाला, सेमीनार, रोजगार मेला का आयोजन किया गया।

6.7 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन :-

भारत सरकार व्दारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। यह अधिनियम 02 अक्टूबर, 2006 से प्रभावशील है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की

परिभाषाएं संशोधित की गयी है जिसके अनुसार इन उद्यमों में यंत्र एवं संयंत्र में निवेश सीमा क्रमशः 25.00 लाख तक, 25.00 लाख से 5.00 करोड़ तक एवं 5.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक की गयी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2576 (ई) दिनांक 18.09.2016 से उद्योग आधार ज्ञापन दाखिल करने की व्यवस्था लागू की है, इस अधिसूचना से राज्य में ई.एम. पार्ट–1 एवं ई. एम. पार्ट–2 दाखिल करने संबंधी व्यवस्था समाप्त हो गयी है।

राज्य शासन ने औद्योगिक नीति व अन्य नीतियों में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित अभिलेख ई.एम. पार्ट–1 के स्थान पर राज्य में ''उद्यम आकांक्षा'' (Udyam Aakansha) दाखिल करने की ऑनलाईन व्यवस्था दिनांक 18.09.2016 से प्रभावशील से है।

6.7.1 एम.एस.एम.ई. फेसिलिटेशन काउंसिल की प्रगति

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–10/2007/11/(6), दिनांक 03.12.2019 के तहत नवीन दो वर्षीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है। काउंसिल के अध्यक्ष संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ होते हैं। विवादों के निराकरण की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहती है। जनवरी 2021 तक, 15 प्रकरणों का निपटारा किया गया है, जिसमें रू. 6.26 करोड़ का अवार्ड पारित किया गया।

6.7.1 एम.एस.एम.ई. फेसिलिटेशन काउंसिल की प्रगति

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर **एमएसएमई प्रमोशन एवं डेव्हलपमेंट** के क्षेत्र में **द्वितीय स्थान** प्राप्त हुआ है।

6.8 स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति :- (अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक)

6.8.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम -

1.	भौतिक लक्ष्य	–	1140,	वित्तीय लक्ष्य	–	रू. 3421.01 लाख,
2.	स्वीकृत प्रकरण	–	1215,	स्वीकृत मार्जिन मनी	–	रू. 2581.89 लाख,
3.	मार्जिन मनी वितरित प्रकरण	–	636,	वितरित मार्जिन मनी	–	रू. 1388.31 लाख

6.8.2 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना -

1.	भौतिक लक्ष्य	–	610,	वित्तीय लक्ष्य	–	रू. 306.00 लाख
2.	ऋण स्वीकृत प्रकरण	–	340,	स्वीकृत मार्जिन मनी	–	रू. 113.39 लाख
3.	ऋण वितरित प्रकरण	–	89,	वितरित मार्जिन मनी	–	रू. 26.56 लाख

विभागीय योजना के तहत लाभान्वित हितग्राही

उद्यम समागम, धमतरी में महिलाओं की भागीदारी

6.8.3 स्टैण्ड-अप इंडिया योजना - राज्य में प्रत्येक बैंक शाखाओं को न्यूनतम 2 प्रकरणों में ऋण वितरण का लक्ष्य है।

1. ऋण स्वीकृत प्रकरण – 08, स्वीकृत राशि – रू. 110.87 लाख
2. ऋण वितरित प्रकरण – 05, वितरित राशि – रू. 29.88 लाख

6.8.4 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना - भौतिक लक्ष्यः– 518521 वित्तीय लक्ष्यः– 3300.00 करोड़

(राशि करोड़ में)

शिशु (रू. 50,000)			किशोर (रू 50,001 से रू. 5.00 लाख)			तरूण (रू. 5.00 लाख से रू. 10.00 लाख)			**कुल**			**उपलब्धि** (%)	
खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (1+4+7)	11 (2+5+8)	12 (3+6+9)	13	14
401029	1114.43	1092.69	82648	1142.83	1016.52	12174	879.99	768.95	495851	3137.26	2878.15	95.63	87.22

6.8.5 छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप योजना -

1. राज्य के लगातार प्रयास से राज्य में स्टार्ट–अप इकोसिस्टम का विकास हुआ है तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य के स्टार्ट–अप की संख्या दिसंबर 2020 की स्थिति में 505 हो चुकी है
2. स्टार्ट–अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत **छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज** लागू किया गया है।
3. वर्ष 2020–21 में भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा स्टेट/यू.टी. स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क वर्ष 2019 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य को **एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम** का पुरस्कार दिया गया।
4. जुलाई 2020 से अगस्त 2020 के मध्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा वर्चुअल मेंटरशीप सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 44 स्टार्टअप को विभिन्न क्षेत्रों में मेंटरशीप प्रदान किया गया।

7. उद्योग संचालनालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न जिलों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र (हेक्टेयर में)

क्र.	जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हे. में)	आबंटन योग्य भूमि (हे. में)	आबंटित भूमि (हे. में)
1	2	3.	4.	5.	6.
औद्योगिक क्षेत्र (100 हेक्टेयर से अधिक)					
1	दुर्ग	भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई	550.372	162.532	161.532
2	दुर्ग	हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई	289.812	185.808	185.808
औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक)					
3	दुर्ग	औद्योगिक संस्थान भिलाई	89.649	82.613	82.613
4	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, कुरन्दी	74.750	8.387	8.387
औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर तक)					
5	कोरबा	औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा	40.469	22.440	21.189
6	दुर्ग	औद्योगिक संस्थान, दुर्ग	21.736	16.313	16.313
7	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, गीदम रोड़	13.658	10.567	10.567
8	जगदलपुर	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, फ्रेजरपुर	12.760	12.727	12.727
9	रायगढ़	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान रायगढ़	9.860	5.398	5.398
10	सरगुजा	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, अंबिकापुर	9.490	7.06	7.06
11	जांजगीर–चांपा	औद्योगिक क्षेत्र, चांपा	8.720	5.090	5.090
12	दुर्ग	औद्योगिक क्षेत्र,ग्राम बोड़ेगांव	8.158	5.061	5.061
13	राजनांदगांव	औद्योगिक संस्थान, ममता नगर, राजनांदगांव	7.769	7.237	7.237
14	सूरजपुर	औद्योगिक क्षेत्र, अजीरमा	6.070	4.00	4.00
15	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, पंडरीपानी	4.876	4.876	4.876
16	जशपुरनगर	अर्द्धशहरीय औद्योगिक क्षेत्र, गम्हरिया	4.047	2.881	1.384
17	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, सोमनी	4.046	2.043	1.690
18	कोण्डागांव	औद्योगिक क्षेत्र, आड़काछेपड़ा, कोण्डागांव	2.630	2.15	2.09
19	कोरिया	औद्योगिक क्षेत्र, चैनपुर	2.485	2.286	2.286
20	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, मोहारा	2.428	2.417	2.417
21	नारायणपुर	ग्रामीण कर्मशाला नारायणपुर	2.125	2.124	1.72
22	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, गठुला	1.618	0.404	0.404

क्र.	जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हे. में)	आबंटन योग्य भूमि (हे. में)	आबंटित भूमि (हे. में)
1	2	3.	4.	5.	6.
23	राजनांदगांव	ग्रामीण कर्मशाला, डोंगरगढ़	1.214	0.708	0.708
24	रायगढ़	ग्रामीण कर्मशाला पुसौर	0.942	0.416	0.416
25	दुर्ग	औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम मेड़ेसरा	0.44	0.44	0.44
26	कोरिया	ग्रामीण कर्मशाला बैकुण्ठपुर	0.111	0.111	0.111
27	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, जगदलपुर	0.028	0.028	0.028

हल्दी प्रसंस्करण उद्योग, जिला दुर्ग

8. फूड पार्कों की स्थापनाः-

8.1 प्रस्तावित नवीन फूडपार्क की स्थापना हेतु शासकीय भूमि की जानकारी

1. छत्तीसगढ़ शासन के जनघोषणा पत्र में 05 वर्षों में 200 फूडपार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
2. राज्य के 28 जिलों के 146 विकासखण्डों में से 110 विकासखंडों में नवीन फूडपार्क की स्थापना हेतु भूमि चिन्हांकित किया जा चुका है।
3. नवीन फूडपार्क की स्थापना हेतु कुल 37 विकासखण्डों के शासकीय भूमि का आधिपत्य/हस्तांतरण आदेश जारी किया जा चुका है।

8.2 उद्योग विभाग को आधिपत्य प्राप्त

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)
1	सुकमा	सुकमा	सुकमानगर	5.900
2	सुकमा	कोन्टा	फन्दीगुड़ा	3.135
3	सुकमा	छिन्दगढ	पाकेला	10.118
4	बस्तर	लौहण्डीगुड़ा	धुरागांव	7.650
5	दुर्ग	धमधा	धरमपुरा	8.72
6	कोरबा	कटघोरा	गोपालपुर,	10.903
7	रायगढ़	पुसौर	गढ़उमरिया	17.806
8.	रायगढ़	खरसियां	छोटे डूमरपाली	6.248
9.	रायगढ़	बरमकेला	झिंकीपाली	7.134
10.	रायगढ़	घरघोड़ा	टेण्डा	10.000
11.	रायगढ़	धर्मजयगढ़	कटाईपाली	6.876
12	बालोद	डौण्डी	गुदुम	23.920
13.	बालोद	डौण्डीलोहारा	कोटेरा	14.990
14.	बेमेतरा	बेमेतरा	चंदनू व रवेली	82.760
15.	बेमेतरा	बेरला	सिंगारडीह	16.000
16	बेमेतरा	साजा	राखी	7.650
17.	बेमेतरा	नवागढ़	अकोली	12.000
18.	जशपुर	फरसाबहार	फरसाबहार	6.070
19.	जशपुर	दुलदुला	पतराटोली,	7.722
20.	जशपुर	कुनकुरी,	मयाली	4.860
21.	जशपुर	कांसाबेल	नरायणबहली	4.741
22	जशपुर	बगीचा	पण्डरापाट	6.072
23	जशपुर	पत्थलगांव	चिकनीपानी	4.140

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)
24	सरगुजा	सीतापुर	उलकिया	8.920
25.	सरगुजा	उदयपुर	रिखी	8.064
26.	सरगुजा	मैनपाट	डांगबुड़ा	3.812
27.	सूरजपुर	प्रतापपुर	केवरा	12.00
28.	सूरजपुर	रामानुजनगर	बरबसपुर	11.000
29.	उ.ब. कांकेर	कोयलीबेड़ा	रामकृष्णपुर	10.000
30.	बिलासपुर	बिल्हा	बरतोरी	10.000
31.	रायपुर	तिल्दा	खपरीखुर्द	8.115
32.	रायपुर	आरंग	गोढ़ी	6.77
			योग :–	**364.096**

8.3 उद्योग विभाग के नाम पर हस्तांतरण :-

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)
1.	द.ब. दंतेवाड़ा	कुआकोंडा	गढ़मिरी	8.900
2.	मुंगेली	मुंगेली	तरवरपुर	9.357
3.	मुंगेली	पथरिया	हथकेरा–बिदबिदा	11.475
4.	सरगुजा	लुण्ड्रा	जमीरा	17.032
5.	गरियाबंद	फिंगेश्वर	सुरसाबांधा	15.150
			योग :–	**61.914**

9. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 :- सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 इस कार्यालय में भी प्रभावशील है, जिसके अंतर्गत आवेदक को वांछित प्रतिलिपि व सूचनायें प्रदान की जाती है एवं उक्त अधिनियम के अधीन प्राप्त अपील प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। उद्योग संचालनालय में 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि में 62 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका समय–सीमा में निराकरण किया गया है। इसी प्रकार उद्योग संचालनालय के अधीनस्थ जिला कार्यालयों में 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की स्थिति में कुल 287 आवेदन प्राप्त हुये जिनका समय–सीमा में निराकरण कर लिया गया है।

10. लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 :- उद्योग संचालनालय में 01 अप्रैल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की स्थिति में कुल प्राप्त 272 नवीन आवेदनों में से 107 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है तथा लंबित 165 प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में कर लिया जावेगा। इसी प्रकार उद्योग संचालनालय के अधीनस्थ जिला कार्यालयों में 01 अप्रैल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की स्थिति में कुल प्राप्त 4893 नवीन आवेदनों तथा पूर्व के 850 लंबित आवेदन अर्थात् कुल 5743 आवेदनों में से 4811 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है तथा लंबित 932 प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में कर लिया जावेगा।

पंजीयक–फर्म्स एवं संस्थाएं

कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय है। इसका मुख्यालय नवा रायपुर में है एवं विभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीयन व प्रशासन का कार्य सौंपा गया है। इस कार्यालय के अधीन सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ के चार संभागीय कार्यालय बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग एवं बस्तर संभाग में कार्यरत हैं।

1. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :-

1.1 भारतीय भागीदारी अधिनियम–1932 :– इस अधिनियम के अधीन भागीदारी फर्मों का पंजीयन किया जाता है तथा समय–समय पर भागीदारों में व फर्मों की रचना में जो परिवर्तन होने हैं, उनको भी रिकार्ड में लिया जाता है तथा फर्मों में भागीदारों द्वारा अथवा अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखों की प्रतियां जारी की जाती है।

1.2 छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) :– इस अधिनियम के अधीन शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामान्य, जनकल्याणकारी व अन्य प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं का भी समिति के रूप में पंजीयन किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं की जांच, विशेष ऑडिट, निरीक्षण, निर्वाचन, प्रशासक की नियुक्ति आदि जैसे कार्य किया जाता है। संस्था के विधान में जो संशोधन समय–समय पर किया जाता है, उनको भी अनुमोदन कर रिकार्ड पर लिया जाता है। संस्था द्वारा प्रेषित जानकारियों पर भी कार्यवाही की जाती है।

1.3 सोसायटी का पंजीयन ऑनलाईन दिनांक 30.06.2017 से प्रारंभ है एवं संशोधन दिनांक 13.02.2018 से प्रारंभ है।

1.4 फर्म का पंजीयन ऑनलाईन प्रारंभ दिनांक 30.06.2017 से प्रारंभ है एवं परिवर्तन दिनांक 15.05.2018 से प्रारंभ है।

1.5 ऑनलाइन पंजीयन हेतु वेबसाइट rfas.cg.nic.in है, इसके अंतर्गत 24X7 समय में पंजीयन प्रकरण आवेदकों से अपने स्थान से ही पंजीयन प्रकरण जमा करने एवं पंजीयन पश्चात् पंजीयन प्रमाण पत्र भी स्थानीय स्तर पर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार आवेदकों को किसी भी कार्य हेतु इस कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

1.6 प्रतिमाह 5 तारीख के बाद प्रत्येक संस्था को जिनकी अवधि एक वर्ष पूर्ण हो गई है, धारा 27 एवं 28 जमा करने हेतु जनवरी 2019 से एस.एम.एस. अलर्ट प्रेषित किया जाना प्रारंभ किया गया है।

2. अन्य प्रशासनिक कार्यवाहियां :-

2.1 इस कार्यालय में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 प्रभावशील हैं, जिसके तहत् निम्नांकित सेवाएं सम्मिलित हैं :–

1.	समिति रजिस्ट्रेशन	–	30 कार्य दिवस
2.	भागीदारी फर्म रजिस्ट्रेशन	–	15 कार्य दिवस
3.	अधिनियम की धारा 21 के अधीन पूर्वानुमति हेतु आवेदन पर कार्यवाही	–	30 कार्य दिवस

2.2 इस कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 भी प्रभावशील हैं, जिसके तहत् आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां तथा जानकारी प्रदाय किया जाता है।

3. सोसायटी एवं फर्म की पंजीयन संख्या :- इस विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत 01.01.2020 से 31.12.2020 तक किये गये कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

3.1 छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित–1998) के अधीन पंजीकृत समितियों की संख्या

पंजीकृत सोसायटी (दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक)	–	4304
कुल पंजीकृत समितियों की संख्या	–	103714

3.2 भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932 के तहत् पंजीकृत फर्म्स

पंजीकृत फर्म (दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक)	–	1596
कुल पंजीकृत फर्मों की संख्या	–	36290

3.3 समिति एवं फर्मों के पंजीयन के कार्य ऑनलाईन प्रारंभ किए गए हैं।

4. राजस्व प्राप्तियाँ :-भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932 एवं छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित–1998) के तहत् समितियों तथा फर्मों के पंजीयन एवं प्रशासन के अधीन विभाग को राजस्व प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 31.12.2020 तक) में निर्धारित लक्ष्य रूपये 4.00 करोड़ के विरूद्ध रूपये 2.68 करोड़ राजस्व प्राप्ति हुई है।

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय

उद्देश्य

वाष्पयंत्र (बॉयलर) स्टील की प्लेट, ट्यूबों एवं पाइपों से निर्मित एक यंत्र है जिसमें पानी को गरम कर अत्यंत उच्च दाब एवं तापक्रम की वाष्प (स्टीम) का उत्पादन किया जाता है। वाष्पयंत्र का उपयोग विभिन्न उद्योगों में विद्युत उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादन के चरणों में ऊष्मा प्रदान करने हेतु किया जाता है। राज्य के विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रकार के वाष्पयंत्र स्थापित हैं। यदि इन वाष्पयंत्रों का सही उपयोग, उच्च दर्जे का रख–रखाव, प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा परिचालन एवं उचित संरचना न हो तो गंभीर दुर्घटना हो सकती है जिससे जन–धन की काफी क्षति हो सकती है।

वाष्पयंत्रों से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा बॉयलर अधिनियम–1923 एवं भारतीय बॉयलर विनियम–1950 बनाए गए हैं। इस अधिनियम को राज्य में लागू करने हेतु राज्य शासन द्वारा वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की स्थापना की गई है। बॉयलर अधिनियम–1923 व इसके तहत बनाए गए विनियमों को राज्य में लागू करने का कार्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय करता है ताकि वाष्पयंत्रों से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा बनी रहे।

दिनांक 01–04–2020 से 31–12–2020 तक की अवधि में कार्य निष्पादन विवरणः–

1. वाष्पयंत्रों का निरीक्षण :-

क्रं.	विवरण	संख्या
1.	संपूर्ण निरीक्षण (विभागीय–874, स्वप्रमाणीकरण–77)	951
2.	जलभार परीक्षण	790
3.	नये वाष्पयंत्रों का पंजीयन	32
4.	वाष्पयंत्रों के प्रमाण–पत्रों का नवीनीकरण	832
5.	वाष्पयंत्रों का अनंतिम प्रमाण–पत्र	32
6.	दुरुस्त हुए वाष्पयंत्र	99

राज्य में स्थापित कुल बायलर 1448 हैं। जिनमें से 1169 वाष्पयंत्र कार्यरत हैं। इनमें से 951 वाष्पयंत्रों का निरीक्षण उक्त अवधि में किया गया।

2. वाष्पयंत्र निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण :- भारत सरकार की Ease of doing business तथा राज्य सरकार की औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत् वाष्पयंत्रों की निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20–03–2015 द्वारा

लागू की गई है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत इकाईयां प्रशिक्षित बायलर आपरेशन इंजीनियर से वाष्पयंत्र का निरीक्षण करा सकेगी। वर्तमान में राज्य में स्थापित कुल 24 इकाईयों द्वारा वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था का लाभ लिया जा रहा है। दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि में कुल 77 वाष्पयंत्रों का स्वप्रमाणीकरण हुआ है। वाष्पयंत्रों के प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण एवं नये वाष्पयंत्रों के पंजीयन के ऑन–लाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। विभिन्न आवेदनों के साथ प्राप्त होने वाले प्रपत्रों/ घोषणा पत्र/शपथ पत्र आदि में नोटरी/राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट से सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त की गई एवं उक्त दस्तावेजों का स्वप्रमाणीकरण मान्य किया गया है।

3. बॉयलर अधिनियम - 1923 की धारा 34(2) के तहत छूट :- वाष्पयंत्र का निरीक्षण एवं परीक्षण करने के उपरांत ठीक पाए जाने की स्थिति में वाष्पयंत्र का उपयोग करने हेतु एक वर्ष की अवधि का प्रमाण पत्र निरीक्षण दिनांक से जारी किया जाता है। उक्त प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पर वाष्पयंत्र बंद कर इकाइयों द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र का पुनः नवीनीकरण कराया जाता है। कभी–कभी आपात स्थिति में जब इकाइयों द्वारा प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पर वाष्पयंत्र बंद करना संभव नहीं होता है तब प्रमाण पत्र की अवधि के पश्चात् वाष्पयंत्र का उपयोग जारी रखने हेतु इकाइयों द्वारा राज्य शासन से अधिनियम की धारा 34(2) के तहत छूट प्राप्त की जाती है। यह छूट मुख्यतः पावर प्लांट के वाष्पयंत्रों को सीमित अवधि हेतु दी जाती है जिससे राज्य में विद्युत की उपलब्धता प्रभावित न हो सके। उक्त अवधि में छूट का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	वाष्पयंत्र क्रमांक	इकाई का नाम	छूट की अवधि
1	MP/3748	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, कोरबा	दिनांक 13.08.2020 से 30.01.2021 तक

4. केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड - मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, भारत सरकार नई दिल्ली के सदस्य हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड एक तकनीकी संस्था है जिसका प्रमुख कार्य बॉयलर तकनीक में होने वाली निरंतर प्रगति को ध्यान में रखकर भारतीय बॉयलर विनियम–1950 में समय–समय पर संशोधन करना होता है। भारतीय बॉयलर विनियम–1950 की विभिन्न धाराओं में प्रस्तावित संशोधनों के आवेदनों पर वाष्पयंत्र निरीक्षकालय अपना तकनीकी अभिमत समय–समय पर केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड को प्रेषित कर रहा है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 13–12–07 द्वारा बॉयलर अधिनियम– 1923 में संशोधन किया गया है तथा अधिसूचना दिनांक 27–05–2008 एवं 07–10–2010 द्वारा उक्त संशोधनों को लागू किया गया है। अधिनियम में हुये संशोधन के फलस्वरूप बॉयलर

अटेंडेंट परीक्षा के नियम, बॉयलर आपरेशन इंजीनियर परीक्षा के नियम, पंजीयन शुल्क छोड़कर अन्य समस्त शुल्कों का निर्धारण करने के नियम तथा अधिकारियों की अर्हता निर्धारण करने के नियम बनाने के राज्य सरकार के अधिकार समाप्त कर भारत सरकार तथा केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड को ये अधिकार दिये गये हैं। अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय के समानांतर प्राइवेट कंपीटेंट पर्सन, निरीक्षण प्राधिकारी तथा कंपीटेंट प्राधिकारी की व्यवस्था केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा की गई है।

5. बायलर परिचर परीक्षक मंडल - भारत सरकार द्वारा बनाये गये बायलर परिचर नियम– 2011 के प्रावधानों के तहत् बायलर परिचर की क्षमता का प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा उक्त नियम के अंतर्गत दस सदस्यीय, परीक्षक मंडल द्वारा द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी बायलर अटेंडेंट की कुल तीन परिक्षायें आयोजित की गई। द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट की परीक्षाओं में कुल 487 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये। प्रथम श्रेणी बायलर अटेंडेंट की परीक्षाओं में कुल 398 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये हैं। नये परीक्षक मंडल का गठन कुल 03 वर्ष की अवधि हेतु शासन के आदेश क्र. एफ 8–6/2005/11/6 दिनांक 27.12.2019 द्वारा किया गया है।

6. बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल - भारत सरकार द्वारा बनाये गये बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम– 2011 के प्रावधानों के तहत् बायलर प्रचालन इंजीनियरिंग में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा उक्त नियम के अंतर्गत दस सदस्यीय परीक्षक मंडल द्वारा आयोजित कुल तीन परिक्षाओं में 339 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। नए परीक्षक मंडल का गठन कुल 03 वर्ष की अवधि हेतु शासन के आदेश क्र. एफ 8–6/2005/11/6 दिनांक 28.12.2019 द्वारा किया गया है।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 :- सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वाष्पयंत्र निरीक्षकालय छत्तीसगढ़, रायपुर हेतु अपर संचालक उद्योग को प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र को लोक सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् वाष्पयंत्र निरीक्षकालय में 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि में 01 आवेदन प्राप्त हुये हैं जिनका समय–सीमा में निराकरण किया गया। इससे संबंधित कोई अपील का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

8. लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 :- 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि में कुल 991 आवेदन प्राप्त हुए जिसका निराकरण समय–सीमा के भीतर किया गया। इससे संबंधित कोई शिकायत या अपील का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

9. अभियोजन एवं अपील - 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि में अभियोजन अथवा अपील का प्रकरण लंबित नहीं है।

10. बजट एवं वित्तीय स्थिति :-

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय को स्थापना व्यय हेतु आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत बजट का आबंटन होता है। वर्ष 2020–21 में रु. 196.50 लाख का बजट अनुमोदित हुआ। वाष्पयंत्रों के निरीक्षण शुल्क से राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होती है। वर्ष 2020–21 हेतु रु. 200.00 लाख के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 01–04–2020 से 31–12–2020 तक की अवधि में आय–व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

अवधि	राजस्व प्राप्ति	व्यय	शुद्ध बचत
01–04–2020 से 31–12–2020	रु. 231.36 लाख	रु. 89.67 लाख	रु. 141.69 लाख

प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियाँ :-

(1) Ease of Doing Business नीति तथा राज्य सरकार की औद्योगिक नीति 2014–19 के अनुरूप बायलरों के सेल्फ सर्टीफिकेशन/थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–2/2011/11/(6) दिनांक 20.03.2015 द्वारा एवं दिनांक 22.03.2019, समसंख्यक संशोधित अधिसूचना द्वारा लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि में कुल 24 इकाइयों द्वारा कुल 77 वाष्पयंत्रों का स्वप्रमाणीकरण किया गया। वाष्पयंत्र निरीक्षकालय द्वारा सेंट्रल इंस्पेक्शन मॉडयूल प्रणाली के अंतर्गत निरीक्षण किया जा रहा है।

(2) राजस्व प्राप्ति रू. 200.00 लाख का लक्ष्य पूर्ण हुआ। 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि में कुल राजस्व प्राप्ति रू. 231.36 लाख के विरूद्ध कुल राजस्व व्यय रू. 89.67 लाख हुई जिससे शासन को रु. 141.69 लाख की शुद्ध बचत हुई।

(3) राज्य में हो रहे तीव्र औद्योगिक विकास के अंतर्गत वाष्पयंत्रों के स्पेयर पार्ट्स निर्माण करने वाली 16 इकाईयां स्थापित हैं। इन इकाईयों द्वारा निर्मित किये गये स्पेयर पार्ट्स की छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न प्रांतों में अच्छी मांग है।

(4) बॉयलर अधिनियम–1923 के अंतर्गत राज्य में अभियोजन अथवा अपील का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

(5) केन्द्रीय बायलर बोर्ड, भारत सरकार द्वारा मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र को राज्य में निर्मित होने वाले वाष्पयंत्रों एवं उनके कलपुर्जों के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु निरीक्षण प्राधिकारी का दर्जा प्रदान किया गया है।

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड

राज्य में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को सहयोग देने और उद्योग स्थापित करने हेतु आवश्यक क्लियरेंस तत्परता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड तथा जिला निवेश प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, बोर्ड के अध्यक्ष तथा भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग बोर्ड के संयोजक हैं। जिला समितियों के अध्यक्ष, संबंधित जिले के कलेक्टर तथा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, संयोजक हैं।

रूपये 10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति हेतु बोर्ड कार्यालय ''राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी'' के रूप में निवेशकों के लिए ''एकल संपर्क बिन्दु'' के रूप में कार्य करता है, जिससे निवेशकों को अपनी परियोजना से संबंधित सभी कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों/विभागों से संपर्क करने के स्थान पर एक ही स्थल से संपर्क कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम–2002 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम–2004 बनाये गये हैं। इस नियम के द्वारा निवेशकों को सभी विभागों/एजेंसियों से सहमति/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई है।

(1) राज्य गठन से 31 दिसम्बर, 2018 तक निष्पादित एमओयू में 183 एमओयू वर्तमान में प्रभावशील है (ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, 2012 के तहत निष्पादित एमओयू को छोड़कर), जिसमें कुल रूपये 2,67,657.04 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इनमें से 67 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। इन प्रभावशील एमओयू परियोजनाओं में अभी तक रूपये 78,748.13 करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है ।

(2) 01 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक निष्पादित एम.ओ.यू. में 104 एम.ओ.यू. प्रभावशील है, जिसमें कुल रू. 42,714.48 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इनमें से 01 परियोजना में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। इन प्रभावशील एम.ओ.यू. परियोजनाओं में अभी तक रूपये 190.37 करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है।

उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित निगम

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत एक ही निगम ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड'' गठित है। इस निगम की अधिकृत पूंजी रूपये 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी रूपये 1.60 करोड़ है।

भारत शासन द्वारा वर्ष 2000 में किये गये राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंर्तगत स्थापित निगमों यथा–(1) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर (2) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (3) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम (4) मध्यप्रदेश वित्त निगम (5) मध्य प्रदेश निर्यात निगम (6) मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (7) मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन (8) मध्यप्रदेश टेक्सटाईल कार्पोरेशन को इसमें समाहित किया गया है ।

राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निगम के द्वारा विभिन्न गतिविधियां निष्पादित की जाती हैं – यथा औद्योगिक संवर्धन, प्रचार–प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चामाल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों का संचालन, राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजन एवं नई दिल्ली के भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के मंडप का निर्माण एवं संचालन एवं शासन द्वारा समय समय पर निर्देशित अनुसार अन्य कार्य।

निगम द्वारा किये जाने वाले कार्यों, उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण

(1.1) निगम के नियंत्रणाधीन स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
औद्योगिक क्षेत्र (200 हेक्टेयर से अधिक)			
1	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	395.563	251.483
2	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	1184.40	872.812
3	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर	338.42	217.49
4	औद्योगिक क्षेत्र बोरई, दुर्ग	450.810	192.462
5	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, बिलासपुर	244.86	157.56
योगः–		**2614.053**	**1691.807**

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
औद्योगिक क्षेत्र (100 से 200 हेक्टेयर तक)			
6	औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, रायपुर	164.300	103.48
7	इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज भिलाई	141.613	59.15
8	औद्योगिक क्षेत्र मेटलपार्क, रायपुर	101.790	35.82
योगः–		**407.703**	**198.45**
औद्योगिक क्षेत्र (50 से 100 हेक्टेयर तक)			
9	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर	55.84	39.48
10	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी)बिरकोनी, जिला महासमुंद	96.42	41.82
11	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी)नयनपुर–गिरवरगंज,	51.237	24.061
12	फुडपार्क बगौद, जिला धमतरी	68.74	23.45
13	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी)लखनपुरी, जिला कांकेर	53.30	25.86
योगः–		**325.53**	**154.671**
औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर तक)			
14	औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, रायपुर	37.18	30.95
15	औद्योगिक क्षेत्र आमासिवनी, रायपुर	11.83	10.04
16	अंजनी, पेण्ड्रारोड	19.42	10.89
17	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी)हरिनछपरा जिला कबीरधाम	20.93	11.09
18	औद्योगिक क्षेत्र तेन्दुआ, रायपुर	20.991	7.27
19	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी)टेकनार, जिला दन्तेवाड़ा	19.27	9.016

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
20	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी)कॉपन, जिला जांजगीर चांपा	43.06	15.325
21	औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी तिल्दा, रायपुर	32.32	15.29
22	औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द, जिला सरगुजा	12.25	4.73
23	इलेक्ट्रानिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर ग्राम तुता, नया रायपुर	45.75	22.83
24	औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द, जिला राजनांदगांव	37.12	13.87
25	औद्योगिक क्षेत्र अवरेठी, भाटापारा	8.615	5.479
योगः–		**308.736**	**156.78**

(1.2) एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIDC) :-

भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है। नवीनयोजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि का अंशदान राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई.डी.सी. है।

भारत शासन के सहयोग से निम्न नये एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)	केन्द्रीय अनुदान (रु.करोड़ में)	राज्य शासन का अंश (रु.करोड़ में)
1.	खम्हरिया	मुंगेली	60	21.15	6.00	15.15
2.	परसगढ़ी	कोरिया	32	12.20	6.00	6.20
3.	सियारपाली/ महुआपाली	रायगढ़	39	14.50	6.00	8.50

इस योजना के अंतर्गत निम्न आई.आई.डी.सी. प्रस्तावित हैं–

क्रं.	प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)
1.	अभनपुर	रायपुर	39.88	11.61
2.	जी–जामगांव	धमतरी	24.71	7.67

(1.3) स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

(1.3.1) मेटल पार्क - जिला रायपुर

विशिष्ट उद्योगों पर आधारित औद्योगिक पार्को की स्थापना के अंतर्गत रायपुर में रावाभांठा में फेरस तथा नान फेरस डाऊनस्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावाभांटा में 101.790 हे. भूमि पर मेटल पार्क फेस–1 एवं फेस–2 में विकसित कर 150 इकाईयों को भू–खण्ड आबंटित किया गया है। वर्तमान में कोई भू–खण्ड रिक्त नहीं है।

(1.3.2) इंजीनियरिंग पार्क - जिला दुर्ग

विशिष्ट उत्पाद आधारित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के अंतर्गत इंजीनियरिंग उत्पाद संबंधी समूह उद्योगों के विकास हेतु भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 141.613 हेक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित कर लगभग 168 इकाईयों को भू–खण्ड आबंटित किए गए हैं, वर्तमान में कोई भू–खण्ड रिक्त नहीं है।

(1.3.3) इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर - जिला- रायपुर

नवा रायपुर में 45.75 हे. भूमि पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चिरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रारंभ किया जाकर उद्योग स्थापना हेतु अब तक 8 इकाईयों को भूमि आबंटन किया गया है, जिनमें 3 इकाईयों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया गया है ।

(1.3.4) फूड पार्क - जिला धमतरी

ग्राम बगौद जिला–धमतरी में कुल 68.74 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क की स्थापना कर 24 इकाईयों को भूमि का आबंटन किया गया है। एक इकाई मेसर्स संघवी फूड्स प्रा.लिमि. द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया गया है तथा तीन इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(2) स्थापनाधीन/प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

(2.1) **नवीन फूड पार्क की स्थापना-** प्रदेश में 200 फूड पार्क की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें 146 विकासखण्डों में से 110 विकासखण्डों में भूमि चिन्हांकित की जा चुकी है। तीन जिलों सुकमा, बस्तर एवं उत्तर बस्तर कांकेर में फूड पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है ।

(2.2) **जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क- जिला रायपुर** में 10 एकड़ भूमि पर जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित किया गया है । उक्त परियोजना की कुल लागत रु. 350 करोड़ है।

(3) नये लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना

राज्य में निम्न जिलों में लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। जिससे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सकेगा साथ ही साथ स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा –

क्रमांक	जिले का नाम	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	रायगढ़	मौहापाली–सियारपाली	15.78
2	मुगेंली	खम्हरिया	24.00
3	बिलासपुर	सिलपहरी	22.00
4	जगदलपुर	कलचा	22.89
5	बेमेतरा	खैरा	25.40
6	कोरिया	परसगढ़ी	13.24
7	जांजगीर–चांपा	बाराद्वार	15.00

(4) परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई

परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3500 लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पाद परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । इस प्रयोगशाला हेतु एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त की गई है एवं अब इसके परीक्षण राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं।

(5) लघु उद्योगो को विपणन सुविधा :-

राज्य के लघु उद्योगो के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में लागू ''छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम–2002 (यथा संशोधित)''में संशोधन किये गये है । जिसके फलस्वरूप समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे । भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 की आरक्षित सूची मे कुल 65 आयटम/उत्पाद सूचीबद्व है ।

राज्य के लघु उद्योग इकाईयों को प्रोत्साहन के दृष्टिगत भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहद एवं राज्य के बाहर स्थित इकाइयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित

लघु उद्योग इकाईयों को 10% (दस प्रतिशत) की मूल्य अधिमान्यता का लाभ दिया जाता है । इसी प्रकार क्रय अधिमान्यता स्थानीय लघु उद्योगों इकाईयों को राज्य के बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में 5 प्रतिशत (पॉचं प्रतिशत) क्रय अधिमान्यता का लाभ स्थानीय लघु उद्योगो इकाईयों को प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित बी.आई.एस. प्रमाण–पत्र धारी लघु उद्योगों को अन्य उद्योगों के विरूद्व 10 प्रतिशत क्रय अधिमान्यता भी प्रदान की गई है ।

भण्डार क्रय नियम–3 के तहत् परिशिष्ट–1 की सूची में आरक्षित वस्तुओं के दर निर्धारण एवं दर अनुबंध हेतु शासन द्वारा निविदा प्रक्रियॉ में पारदर्शिता करने के उददे्श्य से क्रियान्वित ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत निर्माता इकाई या निर्माता इकाई के अधिकृत प्रदायकर्ता इकाई (दोनो में से कोई एक) के लिए ई–निविदा प्रकाशित की जाती है । छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत आमंत्रित ई–निविदा में प्रचलित दर निर्धारण प्रक्रियॉ अनुसार छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम में निहित प्रावधान के तहत् आरक्षित सामग्रियों की दरें निर्धारित कर पात्र निविदाकर्ता इकाईयों के पक्ष में दर अनुबंधित निष्पादित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से जारी अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 के अनुसार भण्डार क्रय नियम 3 के तहत् परिशिष्ट–1 सूची में आरक्षित वस्तुओं मे से निम्नलिखत वस्तुओं हेतु दर अनुबंध किया गया है :–

अनुक्रमांक	आरक्षित वस्तुओं का नाम	दर अनुबंध में अनुबंधित इकाईयों की संख्या
1	ब्लिचिंग पाउडर	04
2	केप कव्हर	13
3	चेन लिक फेंस फैब्रिक	95
4	चॉक	06
5	कंट्रोल पैनल	05
6	हैण्ड पंप	08
7	डेजर्ट कूलर	42
8	फर्नीचर पार्ट–जनरल पर्पज़	195
9	बारबेड वायर	101
10	स्टील पाईप एण्ड टयूब्स (जीआईपाईप)	07
11	एचडीपीई पाईप एण्ड फिटिंग	14
12	एलडीपीई फिल्म	03
13	मॉस्किटों नेट	37
14	पेन्ट एण्ड डिस्टेंम्पर	03
15	बायोडिग्रेडेबल एण्ड कम्पोस्टेबल फिल्म फार बैग्स	05

अनुक्रमांक	आरक्षित वस्तुओं का नाम	दर अनुबंध में अनुबंधित इकाईयों की संख्या
16	पीव्हीसी पाईप एण्ड फिटिंग्स	10
17	आरसीसी फेंसिंग पोल	106
18	आरसीसी हयूम पाईप	34
19	रोड साईन बोर्ड	57
20	रोल अप बोर्ड	10
21	हैण्ड पंप स्पेयर्स	09
22	स्टील ट्री–गार्ड	90
23	तारपोलिन	04
24	यूपीव्हीसी स्क्रीन एण्ड केसिंग पाईप	08
25	वाटर टैंकर	22
26	व्हाईट एण्ड ब्लैक बोर्ड (राईटिंग बोर्ड)	37
27	यूटेंसिल स्टेनलेस स्टील	36
28	प्रेशर कुकर	20
29	प्रेस स्टील शटर एण्ड विन्डों	27
30	एंगल आयरन फेंसिंग पोल	94
31	फिनाईल	06
32	आर सीसी किलोमीटर एण्ड गार्ड स्टोन	11
33	स्प्लिट एयर कंडिशनर	08
34	डीज़ल जनरेटर सेट (हायर रेटिंग)	03
35	डीज़ल जनरेटर सेट (लोवर रेटिंग)	03
36	पीव्हीसी एल्यूमीनियम केबल	04
37	प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर	06
38	व्यायाम उपकरण	43
39	ड्रींकिंग वाटर कुलर	04
40	सोडियम हाईपोक्लोराईट	04
41	सिलाई मशीन	13
42	फेरिक एलम	08
43	फ्लाई एश ब्रिक्स	24
44	मल्टी जिम	36
45	पीव्हीसी सबमर्सिबल केबल	06
46	फायर एक्सीटिंग्विशर	10
47	सीलिंग फेन	05
48	प्री स्कूल किट	28
49	ट्रायसाइकल	03
50	इलेक्ट्रिक वेईंग स्केल फार चाईल्ड	06

अनुक्रमांक	आरक्षित वस्तुओं का नाम	दर अनुबंध में अनुबंधित इकाईयों की संख्या
51	सायकल	08
52	कम्प्यूटर सिस्टम डेस्कटाप	04
53	कम्प्यूटर सिस्टम लैपटाप	04
54	यूपीएस सिस्टम	07
अनुबंधित कुल इकाईयाँ		**1374**

इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर, नवा रायपुर का विहंगम दृश्य

ई-मानक पोर्टल से शासकीय खरीदी :-

भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 सूची में उल्लेखित वस्तुओं की निर्धारित दर एवं दर अनुबंध में अनुबंधित प्रदायकर्ता इकाईयों का प्रकाशन राज्य में शासकीय खरीदी के लिए 1 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किए गए ई–मानक (e-Mane-C e-Marketing Network of Chhattisgarh) से किया जा रहा है। ई–मानक पोर्टल की वेब–साईट http://ceps.cg.gov.in है।

ई-मानक पोर्टल की अद्यतन जानकारी :-

(27.01.2021 की स्थिति में)

		कुल संख्या
पंजीयन	विभाग प्रमुख	139
	क्रयकर्ता अधिकारी	728
	सामग्री प्राप्तकर्ता अधिकारी	778
	भुगतानकर्ता अधिकारी	724
	प्रदायकर्ता इकाईयॉ	507

शासकीय खरीदी कुल (₹)	538.22 करोड़
कुल प्रदाय आदेश की संख्या	7484

(6) कौशल उन्नयन गतिविधियां

(6.1) अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर

रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर स्थापित किये गये हैं। इससे राज्य के युवाओं को अपेरल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त हो रहा है।

बस्तर संभाग में युवाओं हेतु कौशल विकास / प्रशिक्षण

- बस्तर संभाग के जिला सुकमा में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर की स्थापित है।
- इस प्रशिक्षण केन्द्र में 240 युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा है।
- प्रशिक्षण केन्द्र में वस्त्र उद्योग से संबंधित विभिन्न ट्रेड जैसे अपेरल मैन्युफेक्चरिंग टेक्नालाजी, प्रोडक्शन सुपरविज़न, अपेरल पैटर्न मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कटिंग, टेलरिंग, सिलाई मशीन आपरेटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(6.2) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, बोरई, दुर्ग

यह एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, दुर्ग एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, भारत सरकार का एक संगठन है। इसकी स्थापना विश्व बैंक के ''टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम'' के अंतर्गत रू. 112 करोड़ की लागत से बोरई, जिला–दुर्ग में की गई है। यह केंद्र छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है। इस केंद्र द्वारा एम.एस.एम.ई. उद्योगों को परीक्षण सुविधा एवं युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है।

कौशल प्रशिक्षण

- वित्तीय वर्ष 2019–20 – 2300 (अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के 1343 अभ्यर्थियों सहित)
- वित्तीय वर्ष 2020–21 – 2192 (अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के 311 अभ्यर्थियों सहित)

वर्तमान में इस केंद्र द्वारा अकादमी वर्ष 2020–21 हेतु ''टूल एवं डाई मेकिंग'' एवं ''मेकाट्रॉनिक्स'' डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ की गई है। इस कोर्स हेतु कुल 43 छात्रों द्वारा नामांकन दर्ज कराया गया है।

(6.3) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट)

प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु सीपेट (सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी) स्थापित किया गया है। यहां दीर्घकालीन एवं डिप्लोमा तथा पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालित हैं।

(7) स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की संशोधित औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) परियोजना का राज्य में क्रियान्वयन

12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा संशोधित आई.आई.यू.एस. योजना लागू है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के लिये अनुदान प्रदान किया जाता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है।

औद्योगिक अधोसंरचना के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित संशोधित एकीकृत अधोसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.)के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र उरला जिला रायपुर एवं सिरगिट्टी जिला बिलासपुर के लिये अधोसंरचना यथा सड़क, बिजली, जलप्रदाय के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पृथक–पृथक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर भारत सरकार को अग्रेषित किया गया था। भारत सरकार से दोनों परियोजनाओं हेतु स्वीकृति उपरांत कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(8) बायो एथेनाल इकाईयों की स्थापना

राज्य में बायो एथेनाल प्लांट की स्थापना हेतु 05 निवेशकों के साथ एमओयू का निष्पादन किया गया है। प्रस्तावित पूंजी निवेश रु. 727.00 करोड़ है।

(9) निगम की वर्ष 2020-21 में व्यावसायिक गतिविधियां

(9.1) लघु उद्योगों को परीक्षण जांच की सुविधा :-

टेस्टिंग लैब भिलाई में केमिकल, मेटलर्जीकल सैम्पल परीक्षित	–	2171
सिविल व इलेक्ट्रिक सैम्पलों का परीक्षण आय	–	रू 9.89 लाख

(9.2) फर्नीचर व शीट मेटल उद्योगों का संचालनः-

अ– फर्नीचर वर्क्स, अभनपुर	उत्पादन	रू. 195.10 लाख
	विक्रय	रू. 237.72 लाख
ब– कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई	उत्पादन	रू. 648.75लाख
	विक्रय	रु. 670.36 लाख

(9.3) ऑनलाईन भुगतान सुविधाः-

सीएसआईडीसी द्वारा भू–आबंटी इकाईयों से भू–आबंटन से संबंधित राशियों (प्रीमियम, लीज़रेंट, मेंटनेंस आदि) की वसूली हेतु ऑनलाईन सुविधा सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है।

(9.4) भू-आबंटन पत्रों को ऑनलाईन प्राप्त करना

दिनांक 7 मार्च 2015 से लागू नवीन ''छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015'' के परिपालन में निगम के नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में उद्यमी को मांगपत्र, आशयपत्र, आबंटन आदेश, भू–प्रब्याजि में छूट, आशय पत्र में समयावधि विस्तार, आदि की समस्त प्रक्रिया आनलाईन की गई है।

(9.5) जल-आपूर्ति संयोजन हेतु ऑनलाईन आवदेन पत्र सुविधा

इकाईयों को जल–आपूर्ति के लिये ऑनलाईन आबंटन सुविधा प्रारंभ की गई है ।

(9.6) औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप

राज्य में औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप तैयार कराया जाकर आनलाईन किया गया है। साथ ही लैण्ड बैंक की उपलब्ध भूमि का भी जी.आई.एस. मैप अद्यतन कराया जा रहा है ।

(10) अन्य अधोसंरचना

- **सिलतरा शापिंग काम्पलेक्स, रायपुर**

राज्य के रायपुर जिले के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में नवीन शापिंग काम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। इस भवन में भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 121 कक्ष (व्यवसायिक दुकान–108/कार्यालय–12/रेस्टॉरेंट–1) निर्मित है। रिक्त कक्षों के आबंटन की कार्यवाही की जा रही है।

- **व्यवसायिक परिसर तिफरा, बिलासपुर**

राज्य के बिलासपुर जिले में तिफरा व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया है। इस भवन के भूतल एवं प्रथम तल में कुल 16 कक्ष (दुकान–11/कार्यालय–4/बैंक एटीएम–1) निर्मित किये गये तथा आबंटन किया गया है।

- **व्यवसायिक परिसर बिरकोनी महासमुंद**

राज्य के महासमुंद जिले में एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र के अंतर्गत 10 दुकानों का निर्माण किया गया है। रिक्त दुकानों के आबंटन की कार्यवाही की जा रही है।

- **वाणिज्यिक परिसर डंगनिया, रायपुर**

राज्य के रायपुर शहर में निगम के आधिपत्य की भूमि पर पांच तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें सी.एस.आर. के अंतर्गत एटीडीसी को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया है। साथ ही रेल कारीडोर परियोजना हेतु गठित छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमि. एवं छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमि. को स्थान किराये पर उपलब्ध कराया गया है। शेष स्थान/दुकानों के आबंटन की कार्यवाही की जा रही है।

- **उद्योग भवन, रायपुर**

राज्य के रायपुर जिले में जी + 3 तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भूतल पर उद्योग संचालनालय एवं प्रथम तल पर सीएसआईडीसी मुख्यालय स्थापित है। परिसर के द्वितीय तल पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एवं तृतीय तल पर एमएसटीसी लि. एवं ई.सी.जी.सी. लि. मासिक किराये पर आबंटित है। इसके अतिरिक्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द, रायपुर को कार्यालय हेतु भी

आबंटित किया गया है।

- **व्यवसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, कबीरधाम**

  राज्य के कबीरधाम जिले में हरिनछपरा औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया जिसमें भूतल पर 6 दुकाने एवं प्रथम तल पर 1 प्रशासकीय भवन कुल 7 भवनों के आबंटन/किराये पर देने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

- **व्यवसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर**

  राज्य के बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में एसाईड प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो गोडाउन निर्माण किया गया है। निर्यातक उद्योग अथवा अन्य इकाईयों को नियम एवं शर्तों के अधीन किराये पर गोडाउन आबंटित किये गए है।

- **औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर**

  राज्य के औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर में वेयर हाऊस पर्पस के आरक्षित 8000 वर्गफीट भूमि के आबंटन की कार्यवाही की जा रही है।

(11) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत से एक दशक की अवधि में व्यापार एवं उद्योग की दिशा में तीव्र गति से हुए विकास एवं राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा आयात–निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कान्फ्रेन्स, सेमिनार इत्यादि के लिये एक सर्व सुविधायुक्त ट्रेड सेंटर जिसमें आयात–निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिये एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर का प्रावधान भी हो, के निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए राज्य शासन द्वारा नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नोडल एजेन्सी छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा नवा रायपुर में नवा रायपुर डेव्हलपमेंट एजेंसी से पट्टे पर प्राप्त कुल 100 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। कुल पुनरीक्षित परियोजना लागत रू. 192.14 करोड़ है।

वर्तमान में उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत कुछ आंतरिक सड़कों के साथ–साथ प्रदर्शनी परिसर, कल्चरल प्रोग्राम ग्राऊण्ड, पाथवेज एवं बाऊण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 700 सीटर आडिटोरियम सहित Export Facilitation cum Convention Centre तथा Culture Programme stage का निर्माण कार्य पूण किया जा चुका है।

(12) अन्य मुख्य कार्यकलाप

विभाग के उपक्रम सी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास हेतु

देश–विदेश के औद्योगिक समूहों/उद्योगपतियों की राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु रूचि जागृत करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई वेबसाइट को और अधिक व्यवस्थित किया गया है। इसमें राज्य के वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक अधोसंरचना, नीतियां तथा स्थापित विकास केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस वेबसाइट का पता www.csidc.in है।

(13) लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत सीएसआईडीसी में दिसंबर 2020 की स्थिति में कुल 376 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका समयसीमा में निराकरण किया जा चुका है।

(14) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्ष 2020 में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति निम्नानुसार है :–

विवरण	संख्या
प्राप्त आवेदनों की संख्या	133
निराकृत आवेदनों की संख्या	124
प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	09
प्रथम अपील	
प्रथम अपील आवेदनों की संख्या	10
निराकृत आवेदनों की संख्या	10
प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	0
द्वितीय अपील	
द्वितीय अपील प्रकरणों की संख्या	5
निराकृत द्वितीय अपील प्रकरणों की संख्या	3
प्रक्रियाधीन द्वितीय अपील आवेदनों की संख्या	2

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल परियोजनाएं प्रकोष्ठ)

राज्य में रेल्वे लाइनों का विकास

राज्य के गठन के पूर्व राज्य में लगभग 1186 कि.मी. का रेल्वे नेटवर्क था। नवीन 105 किलोमीटर रेल्वे लाईन के निर्माण के पश्चात् राज्य में रेल्वे लाईन की कुल लंबाई 1291 किलोमीटर हो गई है। राज्य में रेल अधोसंरचनाओं का विकास करने के लिये राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम कम्पनियां बनाई, जिसके माध्यम से नई रेल लाईनों का विकास किया जा रहा है।

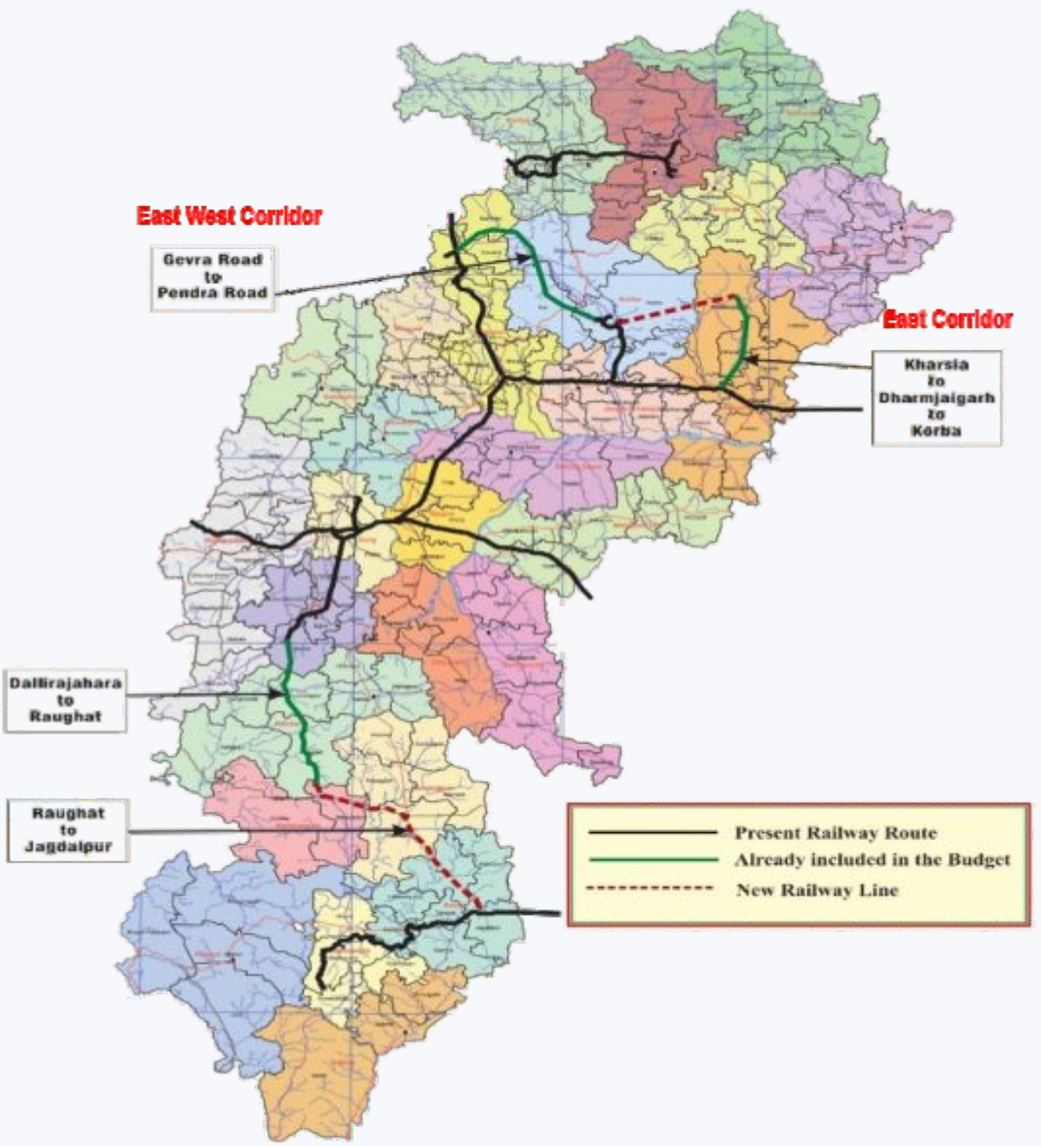

वर्तमान में राज्य में निम्नांकित रेल्वे कॉरीडोर एवं रेल लाईन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है-

(1) ईस्ट रेल कॉरीडोर -

ईस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 12.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से ज्वाईंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 18.01.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन कम्पनी के साथ किया जा चुका है। यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। ईस्ट रेल कारीडोर ;चैंम. 1द्ध खरसिया से धर्मजयगढ़ के मध्य तथा ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-2) धर्मजयगढ़ से कोरबा के मध्य बनाया जा रहा है।

परियोजना की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण की कार्यवाही के पश्चात् निर्माण कार्य सतत् प्रगति पर है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-1) का क्षेत्र खरसिया–धरमजयगढ़–घरघोड़ा–डोंगा महूआ, (131 कि.मी) है व इस कॉरीडोर में 08 स्टेशनें (गुरदा, छाल, घरघोड़ा, कोरीछापर, कुरूनकेला, धरमजयगढ़ रोड, डोलेसरा एवं पेलमा) स्थापित होगी। इसकी परियोजना लागत रूपये 3055.15 करोड़ है। इस चरण का कार्य जून 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके प्रथम चरण में खरसिया से कोरीछापर लगभग 45 कि.मी. तक रेल बिछाई जाकर मालगाड़ी का परिचालन किया जा रहा है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-2) धर्मजयगढ़ से कोरबा के मध्य 62.5 किमी लंबाई में रूपये 1686 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण तथा वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलन में है। यह परियोजना मार्च 2024 तक पूर्ण की जाने हेतु लक्षित है।

(2) ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर-

ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 25.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से ज्वाईंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 05.04.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन के साथ किया जा चुका है। इसकी परियोजना लागत रूपये 4970 करोड़ है।

परियोजना की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है। यह परियोजना मार्च 2023 तक पूर्ण की जाने हेतु लक्षित है।

ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर का क्षेत्र गेवरा–पेण्ड्रा रोड, उरगा–कुसमुण्डा (138 कि.मी) है व इस कॉरीडोर में 09 स्टेशनें (सुरकछार, कटघोरा, बिन्झारा, पुटुवा, मटिनि, सेन्डुगढ़, पुटी पखाना, भण्डी, धनगवां) स्थापित होगी।

उक्त दोनों कॉरीडोर के बन जाने से सुदूर आदिवासी अंचलों में यात्री परिवहन में आसानी के साथ–साथ माल परिवहन भी प्रारंभ करना संभव होगा।

(3) दल्ली राजहरा-रावघाट रेललाईन परियोजना -

इस परियोजना में रेल्वे लाईन की लम्बाई 95 कि.मी. है। इसमें से प्रथम 60 किमी. तक रेललाईन का निर्माण किया जाकर दल्ली राजहरा–अंतागढ़ तक यात्री गाड़ी का परिचालन किया जा रहा है।

इस रेललाईन परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत रूपये 1622.02 करोड़ है। इस रेललाईन के शेष हिस्से में निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है ।

(4) रावघाट-जगदलपुर परियोजना -

इसकी परियोजना लागत रू. 2538.60 करोड़ है व परियोजना में एन.एम.डी.सी., स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0, इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी है। परियोजना की स्थापना हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल कम्पनी – बस्तर रेल्वे प्रा.लि. गठित हो चुकी है।

रावघाट–जगदलपुर परियोजना की लम्बाई 140 कि.मी है। परियोजना की स्थापना हेतु ट्रेक एलाईनमेंट, लोकेशन सर्वे व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रेल्वे लाईन हेतु भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है। डी.पी.आर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलन में है।

(5) चिरमिरी- नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना -

इसकी परियोजना लागत रू. 241 करोड़ है व परियोजना में भारतीय रेलवे एवं छत्तीसगढ़ शासन की 50:50 की भागीदारी है। परियोजना का क्रियान्वयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जाना है।

चिरमिरी–नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना की लम्बाई 17 कि.मी है। इस रेल लिंक की स्थापना से मनेन्द्रगढ़ के निवासियों को रेल आवागमन हेतु अतिरिक्त मार्ग प्राप्त होगा, जिससे मुख्य मार्ग की यात्री ट्रेनो की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस लाईन के निर्माण हेतु दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे द्वारा सर्वे तथा भूमि चिन्हांकन की कार्यवाही प्रचलन में है।

(6) छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चिन्हांकित रेल परियोजना :-

राज्य में रेल्वे नेटवर्क के विकास हेतु दिनांक 09 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार, रेल मंत्रालय के मध्य एक एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है व एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन व रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी ''छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड'' गठित की गयी है। जिसमें राज्य शासन की भागीदारी 51 प्रतिशत है एवं भारत सरकार का सहभागिता 49 प्रतिशत है। एम. ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त उपक्रम अनुबंध दिनांक 04.08.2016 को निष्पादित किया गया है।

संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा प्रथम चरण में चार रेल्वे परियोजनाएँ की स्थापना हेतु अध्ययन किया गया है, जिसमें से निम्नलिखित दो परियोजनाएं एस.पी.व्ही. के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है :–

I. डोंगरगढ़–खैरागढ़–कवर्धा–मुंगेली–कोटा–कटघोरा, 295 कि.मी., रेल मंत्रालय से डी.पी.आर. अनुमोदित, परियोजना लागत रू. 5950 करोड़, एसपीव्ही छत्तीसगढ़–कटघोरा–डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड गठित। रेल मार्ग हेतु सर्वे किया जाकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन।

II. खरसिया–बलौदाबाजार–नया रायपुर–पाटन–परमालकसा (दुर्ग) 268 कि.मी. रेल मंत्रालय से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त, संभावित परियोजना लागत रू. 5705 करोड़, नवीन एसपीव्ही हेतु संभावित उपयोगकर्ताओं से विचार–विमर्श जारी।

खरसिया से कोरीछापर तक निर्मित रेल लाईन का दृश्य

सार्वजनिक उपक्रम विभाग

दायित्व एवं कर्तव्य

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य प्रणाली से संबंधित पथ–प्रदर्शन के व्यवस्थापन, सामान्य समस्याएँ एवं रिपोर्टिंग पद्धतियों के समन्वयन का कार्य किया जाता है। राज्य में कुल 26 सार्वजनिक उपक्रम कार्यशील हैं, जिनकी जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	कार्यरत होने की तिथि
1	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	16 नवम्बर 1981
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, रायपुर	15 नवम्बर 2000
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर	15 नवम्बर 2000
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, रायपुर	15 नवम्बर 2000
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, रायपुर	15 नवम्बर 2000
6	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिग कंपनी, रायपुर	15 नवम्बर 2000
7	छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	26 फरवरी 2001
8	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	13 मार्च 2001
9	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	01 मई 2001
10	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	07 जून 2001
11	छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन, रायपुर	02 मई 2002
12	छत्तीसगढ़ राज्य निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	19 जुलाई 2004
13	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	27 जुलाई 2005
14	इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड	25 जनवरी 2006
15	सीएमडीसी. आईसीपीएल. कोल लिमिटेड रायपुर	11 अप्रैल 2008
16	सीएसपीजीसीएल. एईएल. परसा कोलराईस लिमिटेड	06 दिसम्बर 2010
17	छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	07 दिसंबर 2010
18	छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	07 नवम्बर 2011
19	छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	14 दिसंबर 2011
20	छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	11 नवम्बर 2014
21	रायपुर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	16 सितंबर 2016
22	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बिलासपुर	19 सितंबर 2016
23	छत्तीसगढ़ रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	07 दिसम्बर 2016
24	छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	23 फरवरी 2017
25	नया रायपुर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला रायपुर	16 सितंबर 2017
26	छत्तीसगढ़ रूरल हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	15 मार्च 2018

भाग–2

बजट

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को उद्योग विभाग के अंतर्गत आयोजना मद में केवल उद्योग संचालनालय को बजट प्राप्त होता है, यह बजट मांग संख्या–11, मांग संख्या–41 तथा मांग संख्या–64 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु प्राप्त होता है। आयोजना मद में वर्ष 2020–21 का योजनावार बजटीय प्रावधान एवं आबंटित राशि निम्नानुसार है :–

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं तथा वाष्पयंत्र निरीक्षकालय को मांग संख्या–11 के अतर्गत आयोजनेत्तर मद में बजट प्राप्त होता है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को उद्योग संचालनालय को आबंटित मद में से कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा अन्य कार्यालयीन व्यय का भुगतान किया जाता है।

क्र.	योजना कमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2020–21 (लाख में)	दिसंबर 2020 तक आबंटित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1	3800	लघु उद्योगों की इनामी योजना	10.00	0.00
2	11–6857	उद्योगों को ब्याज अनुदान	3000.00	3000.00
3	41–6857	उद्योगों को ब्याज अनुदान	700.00	662.14
4	64–6857	उद्योगों को ब्याज अनुदान	200.00	200.00
		योग–	**3900.00**	**3862.14**
5	7825	स्टार्टअप छत्तीसगढ़	500.00	3.00
6	1464	जिला उद्योग केन्द्र (2851)	2790.75	2356.76
7	1175	ग्रामीण उद्यमी विकास प्रशिक्षण योजना	10.00	10.00
8	3370	संचालनालय उद्योग (2852)	1572.30	1572.30
9	5452	निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना (SIPB)	25.00	25.00
10	7957	छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास संस्थान	300.00	120.00
11	4826	आई.एस.ओ. 9000 के अन्तर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति	1.00	1.00
12	5447	तकनीकी पेटेंट अनुदान	0.10	0.00
13	5448	प्रौद्योगिकी प्रौन्नति कोष की स्थापना	0.10	0.00
14	5450	समूह आधारित उद्योगों का विकास (टेस्टिंग लैब भिलाई)	0.10	0.00
15	11–5451	अंशपूंजी सहायता योजना	300.00	300.00
16	41–5451	अंशपूंजी सहायता योजना	60.00	60.00
17	64–5451	अंशपूंजी सहायता योजना	130.00	130.00
		योग–	**490.00**	**490.00**

क्र.	योजना कमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2020–21 (लाख में)	दिसंबर 2020 तक आबंटित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
18	711	औद्योगिक परियोजना तथा सर्वेक्षण की योजना	1.00	1.00
19	7742	इनवायरमेंट मेनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान	0.10	0.00
20	7743	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान	0.10	0.00
21	7744	निःशक्तजन रोजगार अनुदान	0.10	0.00
22	11–8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	150.00	150.00
23	41–8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	115.00	115.00
24	64–8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	36.00	36.00
		योग–	**301.00**	**301.00**
25	11–9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	6400.00	6400.00
26	41–9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	2600.00	2600.00
27	64–9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	1000.00	1000.00
		योग–	**10000.00**	**10000.00**
28	11–5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (2852+4851)	2100.00	1300.00
29	11–5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (2852+4851)	2060.00	1300.00
		योग–	**4160.00**	**2600.00**
30	41–5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (2852+4851)	1560.00	1000.00
31	41–5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (2852+4851)	500.00	200.00
		योग–	**2060.00**	**1200.00**
32	7784	निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्को के लिये अधोसंरचना अनुदान	1.00	0.00
33	7785	पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता	1.00	0.00
34	8890	खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान	1400.00	600.00
35	7952	इंडिया एग्रो फूड प्रोसेसिंग एण्ड एडिशन प्रोग्राम (state+central)	400.00	160.00
36	7396	मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुदान	70.00	70.00
37	8237	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए अनुदान (IITF)	150.00	60.00
38	9283	प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां तथा प्रचार	2000.00	1400.00

क्र.	योजना कमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2020–21 (लाख में)	दिसंबर 2020 तक आबंटित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
39	5586	निर्यात अधोसंरचना विकास के लिए सहायता (ASIDE)	0.10	0.00
40	6377	फूड पार्क की स्थापना	5000.00	2000.00
41	6381	जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना	100.00	100.00
42	6742	औद्योगिक पार्को के लिये अनुदान	500.00	500.00
43	6888	छततीसगढ़ व्यापार केन्द्र की स्थापना	0.10	0.00
44	7480	जिला उद्योग कार्यालय भवन की स्थापना	200.00	80.00
45	7909	औद्योगिक केन्द्रों का जीर्णोद्धार	500.00	200.00
46	8983	औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना उन्नयन कार्य (26–006 वृहद निर्माण)	3986.00	2060.00
	8983	34– वाहनो का क्रय, 001–प्रतिस्थापन	14.00	14.00
47	9219	भू–अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान		0.00
	#15	डिक्रीधन का भुगतान	5.00	0.00
	#31	क्षतिपूर्ति भुगतान अधिग्रहित भूमि मुआवजा	910.00	0.00
48	9220	सर्वे तथा डिमार्केशन	5.00	5.00
49	5451	अंशपूंजी सहायता योजना (ऋण व अग्रिम)	0.10	0.00
		महायोग–	**41363.95**	**29791.20**

राज्य में स्थापित मश्रूम उत्पादन केन्द्र का दृश्य, दुर्ग

भाग – 3
योजनाएं

1 राज्य योजनाएं

1.1 औद्योगिक नीति 2019-24 :-

राज्य के औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए 01 नवम्बर, 2019 से प्रभावशील नवीन औद्योगिक नीति 2019–24 में निम्नानुसार औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाएँ रखी गई है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :–

1 ब्याज अनुदान :-

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र उद्योग के लिए प्राप्त किये गये ऋण पर निम्नलिखित अनुसार ब्याज अनुदान देय होगा :–

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग			प्राथमिकता उद्योग			उच्च प्राथमिकता उद्योग		
		अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू. लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू. लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू. लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	5	40	10	6	50	15	7	50	20
	ब	6	45	15	7	50	20	8	50	25
	स	7	55	25	8	60	30	9	60	35
	द	8	65	30	10	70	40	11	70	45
मध्यम वृहद उद्योग	अ	5	25	20	5	35	30	6	35	35
	ब	5	30	30	5	40	40	7	40	45
	स	7	50	40	8	60	50	9	60	55
	द	8	60	40	10	70	50	11	70	55

2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-

(अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के द्वारा "स्थायी पूंजी निवेश अनुदान" संशोधित कर मात्र सूक्ष्म उद्योगों के स्थान पर यह अनुदान पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए लागू किया गया)

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति सुविधा के स्थान पर विकल्प लिए जाने पर) देय होगा –

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रू. लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रू. लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रू. लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	35	35	40	60	45	65
	ब	35	40	40	65	45	70
	स	35	60	35	80	40	90
	द	45	70	40	90	45	100
मध्यम उद्योग	अ	30	60	35	70	40	80
	ब	35	70	40	80	45	90
	स	35	80	45	100	45	110
	द	40	100	45	110	50	120

टीप : 1 पात्र लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है ।

2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति हेतु एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा, तथा अनुदान स्वीकृति के उपरांत किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी।

3 नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति :-

केवल लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग हेतु :–

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–अ परिशिष्ट –7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक भुगतान किये गये	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
	सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 35 प्रतिशत	सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत	सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत
श्रेणी–ब परिशिष्ट –7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
श्रेणी–स परिशिष्ट –7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 65 प्रतिशत
श्रेणी–द परिशिष्ट –7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

टीप : 1 इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अन्य श्रेणी के उद्योगो अर्थात वृहद श्रेणी से उच्च श्रेणी में निवेश करने वाली इकाईयों को सुविधा की मात्रा वृहद उद्योग के लिए मान्य अधिकतम सीमा तक ही अनुमत योग्य होगी।

2 इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की वार्षिक पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य संपूर्ण राशि को स्वीकृत समयावधि के वर्षो में समान रूप से विभाजित कर प्रतिवर्ष अधिकतम प्रतिपूर्ति नेट एसजीएसटी अथवा मान्य अधिकतम वार्षिक सीमा, जो भी कम हो तक की पात्रता होगी।

4 विद्युत शुल्क से छूट :-

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित ''पात्र नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योग के विस्तार/विद्यमान उद्योग के शवलीकरण'' को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :–

(अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा मात्र नवीन उद्योगों के स्थान पर ''पात्र नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योग के विस्तार/विद्यमान उद्योग के शवलीकरण'' हेतु लागू किया गया)

अ- सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर को छोड़कर) उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–अ परिशिष्ट–7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 04 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–ब परिशिष्ट–7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–स परिशिष्ट–7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–द परिशिष्ट–7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप – कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों वालो उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

ब- कोर सेक्टर की मध्यम, वृहद, मेगा, अल्ट्रामेगा उद्योग -

इन नियमों में अन्यथा वर्णित नवीन पात्र इकाईयों को केवल स्वयं के खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी –

(अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा कोर सेक्टर के उद्योगों के 'अ' एवं 'ब' श्रेणी विकासखंड के उद्योगों के लिए भी विद्युत शुल्क छूट घोषित करते हुए श्रेणी 'स' एवं 'द' श्रेणी विकासखंड के उद्योगों के लिए छूट की मात्रा एवं अवधि में वृद्वि की गई है।)

1	श्रेणी अ (परिशिष्ट–7 (अ))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक पूर्ण छूट
2	श्रेणी ब (परिशिष्ट–7 (ब))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक पूर्ण छूट
3	श्रेणी स (परिशिष्ट–7 (स))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक पूर्ण छूट
4	श्रेणी द (परिशिष्ट–7 (द))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप : केप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं वेस्ट कीट रिकवरी वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी

5 स्टाम्प शुल्क से छूट :-

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को (कोर सेक्टर के उद्योग सहित) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी :–

5.1 **(अ)** भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर एवं हस्तांतरण से संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)।

(ब) ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक।

5.2 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भू–खण्डों/औद्योगिक प्रयोजन तथा भूमि बैंक हेतु अधिग्रहित भूमि/क्रय की गई भूमि के प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर, (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)।

5.3 भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर एवं इनमें स्थापित होने वाले उद्योग।

5.4 औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू–खण्ड/औद्योगिक प्रयोजनों, भूमि बैंक एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा क्रय/लीज पर ली जाने वाली भूमि पर।

5.5 बंद / बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर क्रय–विक्रय से संबंधित विलेखों पर।

5.6 फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना हेतु क्रय / पट्टे पर ली गई भूमि पर।

5.7 लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज एवं ग्रेन साइलो की स्थापना हेतु क्रय / पट्टे पर ली गई भूमि पर ।

6 मंडी शुल्क से छूट :-

राज्य में स्थापित होने वाले नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य के मंडियों / सीधे उत्पादनकर्ता कृषक / इकाई / राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चामाल क्रय करने के दिनांक से 5 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि रू. 2.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 75 % से अधिक नहीं होगी।

7 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :-

राज्य में नवीन सक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यागों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवदेन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, स्थायी पूजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2.50 लाख।

8 भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट :-

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भू–उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी ।

9 औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर (भूमि बैंक) भू-आबंटन सेवा शुल्क में रियायत :-

औद्योगिक प्रयोजनार्थ (भूमि बैंक) हेतु निजी भूमि के अर्जन एवं शासकीय भूमि के हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों में उद्योग विभाग / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा निजी भूमि के अर्जन / शासकीय भूमि के आबंटन के लिए प्राप्त किए जाने वाले सेवा शुल्क निम्नानुसार रहेंगे –

क – निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू–अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि,

ख – निजी / शासकीय भूमि के आबंटन पर भूमि अर्जन के मूल्य के बराबर की राशि पर 10 प्रतिशत राशि,

10 अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत :-

(केवल सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों / उद्यमों के लिए) –

10.1 उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी एवं भू–भाटक की दर 1 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।

10.2 औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग व सेवा उद्यम में) निःशुल्क प्लाट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकसित एवं विकासशील क्षेत्रों (श्रेणी 'अ' एवं 'ब') में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में (श्रेणी 'स' एवं 'द') 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का इन वर्गों के लिए आरक्षित रखा जावेगा । आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात् का हो, से दो वर्ष तक रहेगी।

10.3 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा **''छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम–2015''** में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधानों के अनुसार होगी।

11 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान :-

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आई0एस0ओ0– 9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, जेड (ZED) प्रमाणीकरण उर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई), नवीन एवं नवकरणीय उर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रू. 5 लाख, की प्रतिपूर्ति प्रत्येक प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर की जाएगी।

12 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान :-

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 10 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

13 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान :-

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर इस योजना

के अन्तर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 10 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

14 मार्जिन मनी अनुदान :-

राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, तृतीय लिंग एवं निःशक्तजन वर्ग के उद्यमियों द्वारा रू. 5 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जावेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रू. 50 लाख होगी।

15 औद्योगिक पुरस्कार योजना :-

निम्नांकित श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि क्रमशः रूपये 1,51,000, 1,00,000 एवं 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा –

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन हेतु
2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
3. निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
4. महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग
5. स्टार्टअप इकाईयां

16 दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान :-

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्योग, वृहद तथा समस्त मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (कोर सेक्टर सहित) को भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत् निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक की 40 प्रतिशत अनुदान की राशि की अनुदान प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष की अवधि तक अधिकतम रूपये पांच लाख वार्षिक की सीमा तक की जावेगी।

17 इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)-

17.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के द्वारा पर्यावरण प्रबंधन की दृष्टि से यदि कोई ऐसी तकनीक अपनाई जाती है, जिससे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है एवं कार्बन फूटप्रिंट कम होता है तो ऐसे प्रत्येक तकनीक पर मशीनरी लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा।

17.2 विश्व स्तरीय संस्थानों द्वारा कार्बन क्रेडिट के संबंध में दिये जाने वाले अनुदानों की प्राप्ति हेतु कंस्लटेन्ट्स को सूचीबद्ध किया जायेगा।

18 परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) :-

औद्योगिक नीति 2019–24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों **(खदान सामग्री छोडकर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु)** के निर्यात के लिये निर्माण स्थान से लेकर निर्यात स्थान तक, वास्तविक भाड़ा के बराबर सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी, अधिकतम 05 वर्ष तक होगी।

(अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के द्वारा प्रथम बार निर्यातित किये जाने की शर्त एवं सुविधा को नीति की अवधि तक सीमित रखने की शर्त का विलोपन किया गया है।)

19 मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु विशेष पैकेज

''मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा मेगा एवं अल्ट्रा मेगाप्रोजेक्ट्स के प्रकरण के आधार पर प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति प्रकरण के आधार पर प्रोत्साहन पैकेज की अनुमति प्रदान करेगी।''

मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु **न्यूनतम पैकेज** इस नीति में उल्लेखित निवेश व पात्रता के अनुसार होगी, इससे अधिक औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु इकाईयों की मांग पर उपरोक्तानुसार कैबिनेट समिति विचार कर निर्णय लेगी।

(अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के द्वारा प्रथम बार निर्यातित किये जाने की शर्त एवं सुविधा को नीति की अवधि तक सीमित रखने की शर्त का विलोपन किया गया है।)

20 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत''

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले पात्र उद्योगों को उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में भू आबंटन में भू–प्रीमियम पर निम्नलिखित तालिका में वर्णित विवरण अनुसार छूट दी जायेगी :–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग –

क्र.	क्षेत्र	उच्च प्राथमिकता उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	सामान्य उद्योग
1	श्रेणी–अ (विकसित क्षेत्र परिशिष्ट–7 (अ))	भू–प्रब्याजि में 30 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 20 प्रतिशत	निरंक
2	श्रेणी–ब (विकासशील क्षेत्र परिशिष्ट–7 (ब))	भू–प्रब्याजि में 40 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 30 प्रतिशत	निरंक
3	श्रेणी–स (पिछड़ा क्षेत्र परिशिष्ट–7 (स))	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 40 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 30 प्रतिशत
4	श्रेणी–द (अति पिछड़ा क्षेत्र परिशिष्ट–7 (द))	भू–प्रब्याजि में 60 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 40 प्रतिशत

(अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा नवीन आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में समावेश किया गया है।)

21 छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज :-

छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज

(अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा नवीन आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में समावेश किया गया है।)

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् ''स्टार्टअप पैकेज'' को नियमानुसार लागू करता है :–

1. परिभाषाएं :-

स्टार्टअप की वही परिभाषा मान्य होगी, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 को अधिसूचित की गई है। इसके अनुसार किसी एकक/इकाई को निम्नानुसार स्टार्टअप माना जायेगा :–

(क) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक, यदि यह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदार अधिनियम 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो।

(ख) निगमीकरण/पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में एकक/इकाई का कुल कारोबार सौ करोड़ रूपए से अधिक न हो।

(ग) यदि यह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन की सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है।

पूर्व से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी एकक/इकाई को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।

2 स्पष्टीकरण :-

1. कोई एकक/इकाई अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में कारोबार 100 करोड़ रूपये से अधिक होने पर ''स्टार्ट अप'' के रूप में नहीं माना जाएगा।

2. एकक/इकाई का अर्थ है – कोई निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के तहत् पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत)।
3. कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित (भारत सरकार द्वारा समय समय पर परिभाषा में किये जाने वाले संशोधन सहित) किए अनुसार मान्य होगी।
4. भारत सरकार के उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को ही मान्य किया जाएगा।
5. औद्योगिक नीति 2019–24 में दिए गये प्रावधान अनुसार राज्य की स्टार्टअप इकाईयों को अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करने के पूर्व छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पोर्टल में पंजीयन किया जाना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित एवं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्टअप इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019–24 में कंडिका 12 में दिए गए प्रावधानों के तहत् स्टार्टअप पैकेज लागू किया जाता है तथा ऐसी इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019–24 के तहत् निम्न अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी :–

1. ब्याज अनुदान

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा		
		अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	7	50	20
	ब	8	50	25
	स	9	60	35
	द	11	70	45
मध्यम वृहद उद्योग	अ	6	35	35
	ब	7	40	45
	स	9	60	55
	द	11	70	55

2. स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू लाख में)
सूक्ष्म उद्योग	अ	35	15
	ब	40	18
	स	45	20
	द	55	24

3. नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति-

(केवल लघु, मध्यम स्टार्टअप इकाईयों हेतु)

क्षेत्र की श्रेणी	प्रतिपूर्ति का विवरण
अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत
ब	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
स	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 65 प्रतिशत
द	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

4. विद्युत शुल्क छूट :-

क्षेत्र की श्रेणी	विवरण
अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
ब	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट

क्षेत्र की श्रेणी	विवरण
स	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट
द	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

5. भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

6. सावधि ऋण पर तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।

7 (1) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2. 50 लाख,

(2) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– प्रमाणीाकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 05 लाख।

(3) तकनीकी पेटेंट अनुदान– पेटेंट प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।

(4) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।

(5) औद्योगिक पुरस्कार योजना– स्टार्ट अप इकाईयों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि रू 1,51,000, 1,00,000 एवं 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा।

(6) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय योजना में भाग लेने हेतु अनुदान– छत्तीसगढ़ के स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग संचालनालय द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त एक अथवा अधिक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/ वर्कशॉप/संगोष्ठी/प्रदर्शनी में भाग लिये जाने पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जावेगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक बार में देश में रू. 15,000/– एवं देश के बाहर रू. 30,000/– तथा रू. 1,00,000/– प्रतिवर्ष की सीमा तक होगी।

8. उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर सभी स्टार्ट अप को भू–प्रब्याजी में 50 प्रतिशत छूट ।

9. छत्तीसगढ़ में लगने वाले स्टार्ट अप को प्रारंभिक वर्षो के लिये श्रम कानूनों में Self Certification के द्वारा अनुपालन की व्यवस्था लागू की जावेगी।

10. स्टार्टअप पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019–24 के अनुदान एवं छूट के अतिरिक्त निम्नांकित अनुदान एवं छूट भी दी जायेगी :–

10.1 किराया अनुदान – छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप इकाईयों को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, किराए के भवन में स्टार्ट अप एकक/इकाई स्थापित करने की दशा में,

भुगतान किये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रू. 8000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी।

10.2 **इनक्यूबेशन हेतु किराया अनुदान** – छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप इकाईयों को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, इन्क्यूबेटर द्वारा दी गई सीट का किराया का भुगतान किये जाने पर मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा रू. 8/– प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रतिमाह अधिकतम राशि रू. 8,000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जावेगी।

11. स्टार्टअप को प्रोत्साहन हेतु इन्क्यूबेटर्स की स्थापना हेतु अनुदान :–

11.1 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर मे किये जाने पर किये गये व्यय का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.2 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) मे किये जाने पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.3 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना पश्चात् संचालन हेतु अधिकतम 03 वर्ष जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर एवं 05 वर्ष अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) के लिए अधिकतम राशि रू 03 लाख प्रति वर्ष।

12. राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्तों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी ।

13. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध स्टार्ट अप यूनिट अनुमोदन के पश्चात् पात्रता अनुसार सिंगल विण्डो सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन उद्यम आकांक्षा में पंजीयन प्राप्त करेगी, जिससे उन्हें राज्य शासन द्वारा दी जा रही ऑनलाईन अनुमतियां एवं सुविधायें आसानी से उपलब्ध होगी।

14. स्टार्टअप एकक/इकाईयों को विभिन्न आरंभिक कार्यवाहियों के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से ऑनलाईन तथा प्रत्यक्ष संपर्क हेतु उद्योग संचालनालय में स्टार्टअप प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा जो कि उद्देश्य के अनुरूप स्टार्टअप इकाईयों को सहायता करेगा।

15. स्टार्टअप एकक/इकाईयों को प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर श्रम, वाणिज्यिक कर तथा पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

16. स्टार्टअप एकक/इकाईयों की स्थापना के लिए पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लेने के लिए संपर्श्विक जमानत के विकल्प के रूप में क्रेडिट गारन्टी फण्ड योजना का अंशदान शासन द्वारा वहन किया जाता है।

17. प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों विशेषतः सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत स्टार्टअप इकाईयों की स्थापना हेतु कैंप के आयोजन एवं शुश्रुषा हेतु इन्क्यूबेटर एवं वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

18. प्रदेश में स्टार्टअप इकाईयों के चयन एवं विकास के लिए समय–समय पर स्टार्ट अप फेस्ट (मेले) आयोजित किए जायेंगे, जिसमें नवागंतुक स्टार्टअप उद्यमी एवं इच्छुक निवेशकों को एक प्लेटफार्म प्राप्त हो।

19. प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय कर स्टार्टअप इकाईयों हेतु आवश्यक मार्गदर्शन की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जायेगा।

20. स्टार्टअप इकाईयों को नवीन उत्पाद/सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों से समन्वय कर नवाचार हेतु प्रेरित किये जाने का प्रयास किया जायेगा जिससे औद्योगिक इकाईयों में उत्पाद बनाने में अभिनवीकरण एवं मूल्य संवर्धन हो सके।

21. उक्त पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019–24 में दी गई परिभाषायें मान्य होंगी।

22. इस पैकेज का लाभ लेने पर स्टार्टअप को राज्य शासन से अन्य समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से भारत शासन से समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) को लाभ प्राप्त है तो वह लाभ राज्य शासन से प्राप्त नहीं होंगे।

23. इस पैकेज के तहत पात्र स्टार्टअप इकाईयों को उक्त अनुसार अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगे, चाहे वह सामान्य वर्ग का निवेशक को या अनुसूचित जाति/जनजाति, अप्रवासी भारतीय, एफ.डी. आई निवेशक, निर्यातक, महिला या नक्सल प्रभावित हो, चाहे विकासशील क्षेत्र में हो या पिछड़े क्षेत्र में हो।

24. इस पैकेज का लाभ इकाई को तब तक ही प्राप्त होगा जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है अर्थात उसे 10 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 100 करोड़ से अधिक न हुआ हो। इसका अर्थ यह है कि 10 वर्ष से अधिक का समय हो जाने अथवा

वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 100 करोड़ से अधिक हो जाने पर आगामी वित्तीय वर्ष से इकाई स्टार्टअप पैकेज का लाभ लेने के लिये अपात्र हो जायेगी।

25. पैकेज की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान एवं छूट औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लेखित प्रकियाओं एवं शर्तों के अधीन नियमन किया जावेगा।

22 औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज :-

(अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा नवीन आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में समावेश किया गया है।)

अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019–24 में निर्धारित नियमानुसार, पात्रतानुसार विशेष आर्थिक पैकेज के अंर्तगत निम्नानुसार अनुदान, छूट एवं रियायतें दी जावेंगी :–

(1) ब्याज अनुदान :- पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा : –

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग			प्राथमिकता उद्योग			उच्च प्राथमिकता उद्योग		
		अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	5	75	20	6	75	25	**7**	75	30
	ब	6	75	25	7	75	30	**8**	75	35
	स	7	75	40	8	75	50	**9**	75	55
	द	8	75	45	10	75	55	**11**	75	60

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग / कोर सेक्टर उद्योग			प्राथमिकता उद्योग			उच्च प्राथमिकता उद्योग		
		अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)
मध्यम वृहद उद्योग	अ	5	75	30	5	75	40	**6**	75	45
	ब	6	75	35	6	75	45	**7**	75	50
	स	7	75	45	8	75	60	**9**	75	65
	द	8	75	50	10	75	65	**11**	75	70

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-

पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान निम्नानुसार देय होगा–

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग / कोर सेक्टर उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	40	40	45	80	45	90
	ब	40	50	45	90	45	100
	स	45	60	50	100	50	110
	द	45	70	50	110	50	120
मध्यम उद्योग	अ	35	80	40	90	40	100
	ब	40	90	45	100	45	110

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग / कोर सेक्टर उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)
	स	45	100	45	125	45	130
	द	45	120	45	130	50	140

टीप – (1) पात्र लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है ।

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति हेतु एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा, तथा अनुदान स्वीकृति के उपरांत किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी।

फ्रोजन फूड्स पर आधारित औद्योगिक इकाई का एक दृश्य, स्थल रायपुर

(3) नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति :-

केवल लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग हेतु

क्षेत्र	सामान्य उद्योग / कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–अ परिशिष्ट–7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु ए वं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
श्रेणी–ब परिशिष्ट–7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत
श्रेणी–स परिशिष्ट–7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्र ारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 70 प्रतिशत
श्रेणी–द परिशिष्ट–7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 80 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

टीप :– (1) इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अन्य श्रेणी के उद्योगों अर्थात वृहद श्रेणी से उच्च श्रेणी में निवेश करने वाली इकाईयों को सुविधा की मात्रा वृहद उद्योग के लिये मान्य अधिकतम सीमा तक ही अनुमत योग्य होगी।

(2) इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की वार्षिक पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य सम्पूर्ण राशि को स्वीकृत समयावधि के वर्षों में समान रूप से विभाजित कर प्रतिवर्ष अधिकतम प्रतिपूर्ति नेट एसजीएसटी अथवा मान्य अधिकतम वार्षिक सीमा जो भी कम हो तक, की पात्रता होगी।

(4) विद्युत शुल्क छूट :-

पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर उद्योगों सहित) के नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/विद्यमान उद्योगों के शवलीकरण प्रकरणों में विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :–

क्षेत्र	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–अ परिशिष्ट–7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–ब परिशिष्ट–7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–स परिशिष्ट–7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–द परिशिष्ट–7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप– केप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं **वेस्ट हीट रिकवरी** वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

(5) मंडी शुल्क से छूट :-

नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/ इकाई/ राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चामाल क्रय करने के दिनांक से 7 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (परिशिष्ट–4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि रू. 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(6) अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत :-

(केवल सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों/उद्यमों के लिए)

(1) उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी एवं भू–भाटक की दर 1 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।

(2) औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग व सेवा उद्यम में) निःशुल्क प्लाट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकसित एवं विकासशील क्षेत्रों (श्रेणी 'अ' एवं 'ब') में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में (श्रेणी 'स' एवं 'द') 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का इन वर्गों के लिए आरक्षित रखा जावेगा। आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात् का हो, से दो वर्ष तक रहेगी।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा **''छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम–2015''** में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधानों के अनुसार होगी।

(7) परिवहन अनुदान :-

औद्योगिक नीति 2019–24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों (खदान सामग्री छोडकर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु) के निर्यात के लिये निर्माण स्थान से लेकर निर्यात स्थान तक, वास्तविक भाड़ा के बराबर सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा 30 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी, जो औद्योगिक नीति 2019–24 की समयावधि तक मिलेगी।

(8) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान) :-

औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट 6 अनुसार सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक उपरोक्तानुसार अनुदान देय होगा।

टीप– उपरोक्त औद्योगिक निवेश के विशेष आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की भांति अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें भी प्राप्त होंगे।

23 वनांचल उद्योग पैकेज (वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन हेतु)

(अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 04 नवंबर, 2020 द्वारा नवीन आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में समावेश किया गया है।)

औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–7 (स) एवं परिशिष्ट–7 (द) में उल्लेखित विकासखण्डों में स्थापित होने वाले वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये नीति की अवधि में उत्पादन में आने वाले उद्योगों के लिये विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन निम्नांकित अनुसार नियम व शर्तों के अंतर्गत प्राप्त होंगे।

पैकेज हेतु नियम व शर्तें :–

1. प्रस्तावित लघु उद्योगों के द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्गत न्यूनतम रूपये 50 लाख तथा अधिकतम रूपये 5 करोड़ निवेश किया जाना आवश्यक होगा।
2. इस पैकेज में पात्र लघु उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट 6.2 में उल्लेखित स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के स्थान पर, उत्पादन में आने के उपरांत संबंधित उद्योग को मान्य स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान के रूप में ''स'' विकासखण्डों में कुल निवेश का 40 प्रतिशत, पांच वर्षों में, रूपये 40 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम तथा ''द'' विकासखण्डों में कुल निवेश का 50 प्रतिशत, पांच वर्षों में, रूपये 50 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम पात्रतानुसार देय होगा। मान्य स्थायी पूंजी निवेश की गणना इस विषय में औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत लागत पूंजी अनुदान हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जायेगी।
3. पात्र लघु उद्योगों को इस पैकेज के बिन्दु क्रमांक–2 में उल्लेखित स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के अतिरिक्त औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट 6.3 में उल्लेखित नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की सुविधा भी नियमानुसार प्राप्त किये जाने की पात्रता होगी। इस हेतु संबंधित परिशिष्ट 6.3 हेतु उल्लेखित प्रावधान लागू होंगे।
4. प्रस्तावित उद्योग को विभाग/सीएसआईडीसी के लैण्ड बैंक में उपलब्ध अविकसित भूमि आबंटन के मामले में ''छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015'' के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार एवं पात्रतानुसार तत्समय प्रचलित केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा क्षेत्र हेतु निर्धारित गाईडलाईन दरों पर औद्योगिक नीति के परिशिष्ट–7 (स) विकासखण्ड क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तथा औद्योगिक नीति के परिशिष्ट–7 (द) 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।
5. प्रस्तावित उद्योग को विभाग/सीएसआईडीसी के द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि आबंटन के मामले में ''छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015'' के प्रावधानों के

अंतर्गत नियमानुसार एवं पात्रतानुसार तत्समय प्रचलित उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दरों में औद्योगिक नीति 2019–24 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार छूट प्राप्त होगी।

6. उक्त पैकेज के लिये सामान्य नियम शर्तें एवं परिभाषायें औद्योगिक नीति 2019–24 में उल्लेखित अनुसार मान्य होंगी।

7. उपरोक्त औद्योगिक निवेश के विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अतिरिक्त निवेशकों को औद्योगिक नीति 2019–24 में उल्लेखित नियमानुसार एवं पात्रातनुसार आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।

8. पैकेज के बिन्दु क्रमांक–2 में उल्लेखित स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की मात्रा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के प्रकरणों में 10 प्रतिशत की राशि पात्रता अनुसार अतिरिक्त देय होगी।

इस अधिसूचना के अंतर्गत दिये जाने वाले अनुदान एवं छूट औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लेखित प्रक्रियाओं एवं शर्तों के अधीन नियमन किया जावेगा।

1.2 छत्तीसगढ राज्य लॉजिस्टिक पार्क नीति 2018-23 :- इस नीति के अंतर्गत नवीन लॉजिस्टिक्स पार्क को दी जाने वाली अनुदान, छूट एवं रियायतें–

1 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-

15–40 एकड़ लॉजिस्टिक्स पार्क	40 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर लॉजिस्टिक्स पार्क
पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक अधिकतम सीमा रू . 10.00 करोड़ से 12.50 करोड़ तक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक अधिकतम सीमा रू. 12.50 करोड़ से 15.00 करोड़ तक।

2 ब्याज अनुदान (केवल सावधि ऋण पर) :- 6 से 7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक, अधिकतम सीमा रु. 60 लाख से 100 लाख तक वार्षिक।

3 विद्युत शुल्क छूट :- लॉजिस्टिक पार्क में वाणिज्यिक गतिविधियॉ प्रारंभ करने के दिनांक से 08 से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।

4 स्टाम्प शुल्क से छूट -

(अ) लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में दी गयी अधिकतम भूमि की मात्रा तक /लीज के प्रकरणों में न्यूनतम 30 वर्ष की लीज पर पूर्ण छूट।

(ब) ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक।

5 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में वेयरहाउसिंग पर भू आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायतः-

15–40 एकड़ पर विकसित किये जाने वाले इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क या 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर विकसित किये जाने वाले इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क पर भू–प्रीमियम पर भू–प्रब्याजि में 20 से 25 प्रतिशत तक छूट।

6 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान- राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्को को आई0एस0ओ0– 9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणी, आई.एस.ओ. 9001:2008, आई.एस.ओ. 16091:2002 एवं जेड प्रमाणीकरण या अन्य राष्ट्रीय/ अर्न्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 60 प्रतिशत राशि, अधिकतम रू. 1.50 लाख, की प्रतिपूर्ति प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर की जाएगी।

7 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान - प्रत्येक पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 6 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

8 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान - प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

9 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान - भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत् निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति।

10 ई.पी.एफ. अनुदान की प्रतिपूर्ति-

डेव्हलपर द्वारा किये गये कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान पर 05 वर्षो तक प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1.00 लाख रू. प्रतिवर्ष होगी । प्रतिपूर्ति निम्नानुसार दिया जायेगाः–

अ. महिला रोजगार – 100 प्रतिशत

ब. पुरूष रोजगार – 75 प्रतिशत

11 वाहन पंजीयन शुल्क में छूट - परियोजना प्रतिवेदन में दिये गये माल परिवहन वाहनों की संख्या पर (अधिकतम 50 वाहन), जिनकी क्षमता 09 मे.टन से कम न हो, के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत दी जायेगी

1.3 ''छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन''

भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से ''नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग'' योजना को डिलिंक करने के कारण राज्य शासन द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत एक नयी योजना ''छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन'' राज्य में प्रभावशील है। इस योजना की कालावधि 31 अक्टूबर 2019 तक थी।

राज्य शासन द्वारा लागू की गयी नवीन औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत **''छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन''** योजना की कालावधि को 01 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाया गया है। जिसके तहत मिशन में निम्न योजनाएँ समावेशित हैः–

क्र.	योजना का नाम	अनुदान की दर	अधिकतम राशि
1.	खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण	संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यो की लागत का 25 प्रतिशत	50.00 लाख
2.	उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन (शीतश्रंखला) हेतु, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास	(अ) परियोजना लागत का 35 प्रतिशत का अनुदान (ब) बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से आया वास्तविक ब्याज, 5 वर्ष की अवधि हेतु	500.00 लाख 200.00 लाख
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत	250.00 लाख
4.	रीफर वाहन योजना	कूलिंग की लागत का 50 प्रतिशत	50.00 लाख

1.4 निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना

राज्य में निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम 25 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 5 करोड़ का अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।

परंतु, सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र में उपरोक्त निजी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्धता कम होने के कारण 20 एकड़ तक के निजी औद्योगिक क्षेत्रों को भी इन प्रावधानों का लाभ उपलब्ध भूमि के आधार पर अधिकतम अनुदान राशि में समानुपातिक कमी करते हुए प्रकरण स्वीकृत किये जा सकेंगे।

1.5 अन्य विशेष प्रोत्साहन

1 अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएँ स्थापित करने वाले निवेशकों को सामान्य वर्ग के उद्यमियों को (औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका–15.1 में दर्शित अनुसार) दिये जाने वाले अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में एक वर्ष अधिक की छूट दी जावेगी।

2 राज्य के महिला उद्यमी, तृतीय लिंग, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्तों को (औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका–15.1 में दर्शित अनुसार) सामान्य उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान के 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी ।

3 राज्य में औद्योगिक/वाणिज्यिक भूमि पर लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना/ पूर्व से स्थापित उद्यम में विस्तार करने पर औद्योगिक नीति में प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतें पात्रतानुसार प्राप्त होंगी।

4 राज्य में "फिल्म उद्योग" के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउन्ड रिकार्डिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर औद्योगिक नीति में सामान्य लघु उद्योगों हेतु प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी ।

5 रूपये 100 करोड से अधिक निवेश करने वाले नॉन कोर सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के औद्योगिक नीति में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर मंत्रिपरिषद में Bespoke Policy के अंर्तगत विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

6 उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (अ' एवं 'ब' श्रेणी के विकासखंडों में संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम निवेश रू. 15 लाख की सीमा तक तथा स' एवं 'द' श्रेणी के विकासखंडों में संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम निवेश रू. 25 लाख़ की सीमा तक) प्रदान किये जावेंगे।

उक्त प्रयोजन के लिए एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा जारी किये जायेंगे, ताकि उन्हें इस नीति में प्रावधानित प्रोत्साहन उपलब्ध हो सके।

1.6 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

1– युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ है।

2– इस योजना के अन्तर्गत राज्य शासन की ओर से युवा वर्ग को आर्थिक सहायता, समर्थन, आर्थिक प्रोत्साहन, बैंक गारंटी शुल्क व वार्षिक सेवा शुल्क देकर युवा वर्ग को यह एहसास कराया है कि उनके स्वरोजगार स्थापना में राज्य शासन उनके साथ है।

3- पात्रता -

3.1 आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हों।

3.2 आवेदक न्यूनतम आठवी कक्षा उत्तीर्ण हों।

3.3 आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य हों।
(अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/निःशक्तजन उद्यमी/नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य/सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट)

3.4 आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (कमनिसजमत) नहीं हो।

3.5 एक परिवार से मात्र एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा अर्थात् इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा।

3.6 आवेदक की परिवार की वार्षिक आय रू. 3,00,000/– से अधिक नहीं हो (परिवार की परिभाषा में आवेदक के पति/पत्नि एवं बच्चे सम्मिलित होंगे। आवेदक के अविवाहित होने की स्थिति में आवेदक के माता– पिता, अविवाहित भाई– बहन की आय भी सम्मिलित होगी)

3.7 आवेदक जिन्होने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या भारत सरकार/राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लिया हो, पात्र नहीं होंगे।

4. इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है -

4.1. ऋण

विनिर्माण उद्यम	–	परियोजना लागत अधिकतम रू0	25.00 लाख
सेवा उद्योग	–	परियोजना लागत अधिकतम रू0	10.00 लाख
व्यवसाय	–	परियोजना लागत अधिकतम रू0	02.00 लाख

4.2 हितग्राहियों को सुविधायें -

वर्ग	मार्जिन मनी अनुदान	ब्याज अनुदान	भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट हेतु गारंटी शुल्क /वार्षिक सेवा शुल्क
सामान्य वर्ग	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख रू0 तक	5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु (प्रथम ऋण वितरण दिनांक से) अधिकतम सीमा सावधि ऋण पर रू . 50,000.00 एवं कार्यशील पूंजी पर रू0 25,000.00	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क
अ.पि.वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक/ नक्सल प्रभावित	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रू0 तक	8 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु (प्रथम ऋण वितरण दिनांक से) अधिकतम सीमा सावधि ऋण पर रू. 75,000.00 एवं कार्यशील पूंजी पर रू0 40,000.00	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क
अ.जा./अ.ज.जा.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रू0 तक	8 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु (प्रथम ऋण वितरण दिनांक से) अधिकतम सीमा सावधि ऋण पर रू. 75,000.00 एवं कार्यशील पूंजी पर रू0 40,000.00	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क

4.3- उपरोक्त के अतिरिक्त उद्यमियों को प्रचलित औद्योगिक नीति में प्रावधानित ब्याज अनदान एवं योजना में प्रचलित ब्याज अनुदान की राशि का अंतर तथा औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक विकास से संबंधित नीतियों के अन्तर्गत देय औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे ।

5- परियोजनाओं की स्वीकृति प्रत्येक जिले में कलेक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अध्यक्षता में टास्कफोर्स समिति द्वारा दी जावेगी।

1.7 ''छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015'' 07 मार्च 2015 से प्रभावशील है जिसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
1.	संचालनालय का आदेश क्र. 99/अधोविक/भू.आ. /2003/1073	22.10.2019	–	उद्योग संचालनालय के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भू–प्रब्याजी की दरों में **30 प्रतिशत** की कमी की गई।
2.	एफ 20–47/2013/11/(6)	31.10.2019	2.5.3	भूमि, भवन–शेड एवं प्रकोष्ठ के आबंटियों से भू–भाटक (लीजरेंट) कुल प्रचलित प्रब्याजी का 3 प्रतिशत के स्थान पर **2 प्रतिशत** निर्धारित किया गया।
3.	एफ 20–47/2013/11/(6)	31.10.2019	2.13	लीजहोल्ड भूमि से फ्री–होल्ड
	एफ 20–47/2013/11/(6)	09.09.2020	–	1–इकाईयों को आबंटित **4.00 हेक्टे. या 10 एकड़ तक** एक चक भूमि या इससे कम पट्टाभिलेख पर आबंटित भूमि 2–गत 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया गया हो। 3–आबंटी जिनको भूमि आबंटन के पश्चात् 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम समय पूर्ण हो चुका हो, लागू प्रब्याजी की दर के **45 प्रतिशत** के बराबर राशि (यथा लागू कर अतिरिक्त) फ्री–होल्ड परिवर्तन शुल्क के रूप में देय होगी। 4– आबंटी जिनको भूमि आबंटन के पश्चात् 20 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्ष से कम समय पूर्ण हो चुका हो, लागू प्रब्याजी की दर के **35 प्रतिशत** के बराबर राशि (यथा लागू कर अतिरिक्त) फ्री–होल्ड परिवर्तन शुल्क के रूप में देय होगी।

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
				5– आबंटी जिनको भूमि आबंटन के पश्चात् 30 वर्ष से अधिक समय पूर्ण हो चुका हो, लागू प्रब्याजी की दर के **25 प्रतिशत** के बराबर राशि (यथा लागू कर अतिरिक्त) फ्री–होल्ड परिवर्तन शुल्क के रूप में देय होगी। 6– फ्री–होल्ड परिवर्तन शुल्क की दर अनुसूचित जनजाति/जाति के पट्टाभिलेखों के मामले में क्रमशः प्रत्येक बिंदु में अंकित राशि के **25 प्रतिशत** के बराबर ली जावेगी।
4.	एफ 20–47/2013/11/(6)	31.10.2019	3.4.2.4	जिन प्रकरणों में आबंटित भू–खण्ड पर उद्यम की स्थापना हो चुकी हो अर्थात् कार्यरत अथवा उत्पादन में आने के पश्चात् बंद हुए उद्यम जिनमें निरस्तीकरण आदेश जारी न हुआ हो, उनमें हस्तांतरण शुल्क के रूप में तत्समय प्रचलित प्रब्याजी की 15 प्रतिशत के स्थान पर **5 प्रतिशत** राशि देय होगी।
5.	एफ 20–47/2013/11/(6)	31.10.2019	3.4.2.8	भूमि/भवन–शेड/प्रकोष्ठ का आंशिक हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा परन्तु कंडिका 3.1.2.2 अनुसार आबंटित भूमि का आंशिक समर्पण किया जा सकेगा।
6.	एफ 20–47/2013/11/(6)	22.06.2020	–	राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में (वर्तमान में उद्योग संचालनालय, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा सीएसआईडीसी के द्वारा नियंत्रित) भूमि आबंटन से संबंधित समस्त कार्य मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा पदेन मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, सीएसआईडीसी के रूप में किया जावेगा।
7.	एफ 20–47/2013/11/(6)	22.06.2020	–	उद्योग संचालनालय, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा सीएसआईडीसी के द्वारा नियंत्रित सभी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, प्रबंधन एवं संधारण का कार्य सीएसआईडीसी के द्वारा एकल एजेंसी के रूप में एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत किया जावेगा।

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
8.	एफ 20–47/2013/11/(6)	30.07.2020	2.5.13	प्रशासकीय विभाग को यह अधिकार होगा कि वह किसी/किन्हीं ''अप्रत्याशित घटना (Force majeure) की परिस्थिति में किसी औद्योगिक क्षेत्र/किन्हीं विशेष प्रकरण में भू–भाटक, संधारण शुल्क, अन्य देय शुल्क के विषय में देय ब्याज/शास्ति में राहत प्रदान कर सकेगा किन्तु ऐसा किये जाने से पूर्व विभाग को इन नियमों के नियम 3.15 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना अपेक्षित होगा।
9.	एफ 20–47/2013/11/(6)	22.10.2020	3.1.1	इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने हेतु समयावधि की गणना इकाई द्वारा भूमि/शेड/प्रकोष्ठ का आधिपत्य प्राप्ति के दिनांक से (अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में आधिपत्य दिनांक से **3 वर्ष** (पूर्व में 2 वर्ष) (ब) मध्यम उद्योग के मामले में आधिपत्य दिनांक से **4 वर्ष** (पूर्व में 3 वर्ष) (स) वृहद उद्योग के मामले में आधिपत्य दिनांक से **5 वर्ष** (पूर्व में 4 वर्ष) (द) मेगा उद्योग के मामले में आधिपत्य दिनांक से **6 वर्ष** (पूर्व में 5 वर्ष) (इ) अल्ट्रा उद्योग के मामले में आधिपत्य दिनांक से **7 वर्ष** (पूर्व में 6 वर्ष)
10.	एफ 20–47/2013/11/(6)	22.10.2020	3.4.2.1	जिन प्रकरणों में आबंटित भूखण्ड पर प्रस्तावित परियोजना प्रतिवेदन अनुसार बाउंड्रीवाल छोड़कर कोई उत्पादन के लिए आव''यक भवन का निर्माण न हुआ हो उनमें दिनांक 07.03.2015 के पहले लागू नियमों/दरों पर आबंटित भूमि हेतु प्रभाव''ील प्रब्याजी के **50 प्रतिशत** के बराबर हस्तांतरण शुल्क, दिनांक 07.03.2015 के पश्चात् लागू नियमों/दरों पर आबंटित भूमि हेतु प्रभावशील प्रब्याजी के **30 प्रतिशत** के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
11.	एफ 20–47/2013/11/(6)	22.10.2020	3.7.2	पट्टाभिलेख की शर्तों का उल्लंघन पट्टाग्रहिता द्वारा करने की स्थिति में उल्लंघन का निराकरण करने हेतु 60 दिवसीय सूचना पत्र के स्थान पर **15 दिवसीय** सूचना पत्र जारी किया जाएगा।
12.	एफ 20–47/2013/11/(6)	22.10.2020	3.8.3	आबंटन अधिकारी द्वारा जारी निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध प्रथम एवं द्वितीय अपील का प्रावधान समाप्त करते हुए निरस्तीकरण आदेशकर्ता को ही अभ्यावेदन के निराकरण करने हेतु अधिकृत किया गया है तथा निराकरण की समय–सीमा **15 दिवस** निर्धारित की गई है।
13.	एफ 20–47/2013/11/(6)	22.10.2020	3.9.1	पट्टाभिलेख के निरस्तीकरण पर भूमि, भवन/शेड का कब्जा (लंबित अपील/न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त मामलों को छोड़कर) एकपक्षीय आधार पर अधिकतम 15 दिवस के स्थान पर **07 दिवस** में पंचनामा कर प्राप्त कर लिया जावेगा। तथापित अनुत्पादक संपत्तियों को आबंटी स्वयं के व्यय पर निरस्तीकरण आदेश दिनांक से **15 दिवस** (पूर्व में 30 दिवस) में हटा सकेगा।
14.	एफ 20–47/2013/11/(6)	22.10.2020	3.9.2	यदि आबंटित भूमि पर परिसंपत्तियां निर्मित की गई हों तो आबंटन प्राधिकारी द्वारा निरस्तीकरण उपरांत पट्टेदार को अपनी परिसंपत्तियां हटाने हेतु निरस्तीकरण आदेश की तिथि से **अधिकतम 01 माह** (पूर्व में 03 माह) का समय प्राप्त होगा।
15.	एफ 20–47/2013/11/(6)	04.11.2020	2.2.1	छत्तीसगढ़ के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग के उपक्रम यथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के द्वारा उक्त क्षेत्र में विद्युत पारेषण/वितरण हेतु योजना के क्रियान्वयन हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि का आबंटन **रूपये 01** (एक) प्रतीकात्मक प्रीमियम राशि (टोकन मनी) पर बिना किसी "Lease rent, security deposit etc." के किया जाएगा।

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
16.	एफ 20–47/2013/11/(6)	04.11.2020	2.10.1 2.10.2	रियायती प्रब्याजी दर पर आबंटित भूखंडों का प्रबंधन हेतु प्रब्याजी में 30 प्रतिशत या अधिक के स्थान पर प्रब्याजी में **60 प्रतिशत** से अधिक प्रतिस्थापित किया गया।
17.	एफ 20–47/2013/11/(6)	04.11.2020	3.1.1(I)	3.1.1(I) में तृतीय वृद्धि के लिए उपलब्ध प्रावधान के उपरांत भी उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ न किए जाने की स्थिति में तथा पट्टाभिलेख के निरस्त न होने की स्थिति में संबंधित इकाई को कोविड–19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्समय प्रचलित प्रब्याजी का **10 प्रतिशत** अतिरिक्त भुगतान करने पर उत्पादन प्रारंभ करने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि, जो अधिकतम दिनांक **31.10.2021** को समाप्त होगी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सशर्त प्रदाय की जा सकेगी।
18.	एफ 20–47/2013/11/(6)	16.12.2020	1.2.7	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यम** – से अभिप्रेत है, ''राज्य सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय समय पर जारी औद्योगिक नीति के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यम जिनके संबंध में राज्य के द्वारा उद्यम आकांक्षा अथवा समतुल्य कोई अभिस्वीकृति/प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।
19.	एफ 20–47/2013/11/(6)	16.12.2020	1.2.8	**वृहद उद्योग एवं वृहद सेवा उद्यम** – से अभिप्रेत है, ''राज्य सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय समय पर जारी औद्योगिक नीति के अंतर्गत परिभाषित वृहद उद्योग एवं वृहद सेवा उद्यम जिन्हें राज्य के द्वारा जारी प्रावधानित अनुसार कोई अभिस्वीकृति/प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
20.	एफ 20–47/2013/11/(6)	16.12.2020	3.4.2.4	**कंडिका क्र. 3.4.2.4–** जिन प्रकरणों मे आबंटित भूखण्ड पर उद्यम की स्थापना हो चुकी हो तथा जिन्हें विभाग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र यथा–ई.एम. पार्ट–2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो और बंद उद्योग/उद्यम के प्रकरण में निरस्तीकरण आदेश जारी नहीं हुआ हो उनमें तत्समय प्रचलित भू–प्रब्याजि की **5 (पांच)** प्रतिशत राशि देय होगी।, परंतु, जिन प्रकरणों मे आबंटित भूखण्ड पर उद्यम की स्थापना हो चुकी हो तथा जिन्हें विभाग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र यथा–ई.एम. पार्ट–2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो और बंद उद्योग/उद्यम के प्रकरण में **निरस्तीकरण आदेश जारी हो चुका हो** उनमें 07 मार्च, 2015 के पूर्व भूमि आबंटन के मामले में हस्तांतरण दिनांक पर लागू प्रब्याजी का **40 प्रतिशत** तथा 07 मार्च, 2015 के पश्चात भूमि आबंटन के मामले में हस्तांतरण दिनांक पर लागू प्रब्याजी का **20 प्रतिशत** राशि उनमें हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगी। उपरोक्त प्रावधान कंडिका 3.4.2.10 एवं 3.4.2.11 से संबंधित प्रकरणों के संबंध में भी उपरोक्तवत लागू होंगे।
21.	एफ 20–47/2013/11/(6)	16.12.2020	3.4.2.6	**कंडिका क्र. 3.4.2.6–** उपरोक्त 3.4.2.1 से 3.4.2.4 तक के प्रकरणों के मामले में हस्तांतरण के अनुमोदन उपरांत भू–आधिपत्य प्राप्तकर्ता द्वारा आदेश दिनांक से आगामी 5 वर्ष तक भूमि का पुनः हस्तांतरण अथवा इकाई के गठन का परिवर्तन, इन नियमों में अन्यथा स्वीकार्य

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
				होने की स्थिति को छोडकर, परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रावधान के उल्लंधन होने पर प्रकरण में नियमितिकरण हेतु राशि 07 मार्च, 2015 के पूर्व मूलतः भूमि आबंटन के मामले में उल्लंघन नियमितिकरण के दिनांक पर लागू **<u>प्रब्याजी का 40 प्रतिशत</u>** तथा 07 मार्च, 2015 के पश्चात मूलतः भूमि आबंटन के मामले में उल्लंघन नियमितिकरण के दिनांक पर लागू **प्रब्याजी का 20 प्रतिशत** राशि, के रूप में प्रचलित प्रब्याजी के समतुल्य हस्तांतरण शुल्क एवं शास्ति शुल्क नियमितिकरण दिनांक पर लागू प्रब्याजी के **10 (दस) प्रतिशत** के बराबर, अतिरिक्त रूप से ली जायेगी। शास्ति सहित पूर्ण राशि का भुगतान न करने पर उद्योग के पक्ष में जारी आबंटन आदेश तथा लीजडीड नियमानुसार निरस्त की जायेगी।
22.	एफ 20–47/2013/11/(6)	16.12.2020	3.4.2.7	**कंडिका क्र. 3.4.2.7–** निरस्त भूखण्ड, शेड–भवन/प्रकोष्ठ का हस्तांतरण नवीन नियमों में अन्यत्र वर्णित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा।
23.	एफ 20–47/2013/11/(6)	16.12.2020	3.10.1	**कंडिका क्र. 3.10.1–** पट्टाग्रहिता द्वारा देयताओं का एकमुश्त भुगतान करने के साथ ही पुनर्स्थापना दिनांक पर प्रचलित प्रब्याजि का 05 (पॉच) प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में लेकर भूमि, भवन/शेड के पट्टे को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।
24.	एफ 20–47/2013/11/(6)	16.12.2020	3.10.2	**कंडिका क्र. 3.10.2–** उपरोक्त कंडिका 3.10.1 से भिन्न प्रकरणों में पट्टा निरस्तीकरण के मामलो में भूमि, भवन/शेड की पुनर्स्थापना के प्रत्येक प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर इकाई की

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
				अद्यतन स्थिति, रोजगार, पूंजी निवेश, उल्लंघित प्रावधानों की पूर्ति एवं उद्योग स्थापनार्थ नये प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए की जा सकेगी। इस हेतु आबंटन प्राधिकारी द्वारा प्रचलित प्रब्याजि 07 मार्च 2015 के पूर्व के मूलतः आबंटन के मामले में पुनर्स्थापना दिनांक पर लागू प्रब्याजि का 45 प्रतिशत तथा 07 मार्च 2015 के पश्चात् मूलतः आबंटन के मामले में पुनर्स्थापना दिनांक पर लागू प्रब्याजि का 25 प्रतिशत राशि पुर्नस्थापना शुल्क एवं अन्य देय राशि के बराबर का एकमुश्त भुगतान प्राप्त कर भूमि आबंटन पुनर्स्थापन की अनुमति दी जा सकेगी। उक्त अनुमोदन के दिनांक से आगामी 05(पांच) वर्ष तक भूमि का हस्तांतरण अथवा स्थापित उद्योग इकाई के संगठन का स्वरूप इन नियमों में अन्यथा स्वीकार्य होने की स्थिति को छोड़कर परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

काजू प्रसंस्करण केन्द्र, महासमुंद में कार्यरत महिलाएं

2. केन्द्रीय योजनाएँ

2.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

मुख्य बिन्दु

उद्देश्य–देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन। परियोजना लागत–विनिर्माण – अधिकतम रू. 25.00 लाख

सेवा एवं व्यवसाय– अधिकतम रू. 10.00 लाख

लाभार्थी का अंशदान–सामान्य वर्ग– 10 प्रतिशत

अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य – 5 प्रतिशत

अनुदान की दर–सामान्य वर्ग – शहरी 15 प्रतिशत, ग्रामीण 25 प्रतिशत

अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य–शहरी 25 प्रतिशत, ग्रामीण 35 प्रतिशत

पात्रता –आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण,

स्वसहायता समूह/ सोसायटी भी पात्र

2.2 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) :-

राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सूक्ष्म इकाईयों के विकास/उन्नयन के लिए **''एक जिला एक उत्पाद (ODOP)''** के तहत 28 जिलों में उत्पाद का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

2.3 स्टैण्ड अप इण्डिया योजना :-

भारत सरकार द्वारा स्टैण्ड अप इण्डिया योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एवं सेवा क्षेत्र में नए उद्यम लगाने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक शाखा को न्यूनतम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराना है। ऋण की सीमा 10.00 लाख रूपये से 1.00 करोड़ तक है।

2.4 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :-

इस योजना में तीन श्रेणियों हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाता है। श्रेणियॉ निम्नानुसार है :–

1. ''शिशु'' में रू. 50000 तक
2. ''किशोर'' में रू. 50000 से अधिक एवं रू. 5 लाख तक
3. ''तरूण'' रू. 5 लाख से अधिक एवं रू. 10 लाख तक ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है।

यह योजना सूक्ष्म श्रेणी हेतु स्वयं का व्यवसाय / उद्यम की स्थापना के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हुई है।

2.5 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIDC)

भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु उद्योगों की स्थापना हेतु निम्नानुसार आई.आई.डी.सी. की स्थापना की जा चुकी है–

कमांक	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	अद्यतन स्थिति
1	बिरकोनी, जिला महासमुंद	49	स्थापित
2	हरिनछपरा, जिला कबीरधाम	21	स्थापित
3	नयनपुर–गिरवरगंज, जिला सरगुजा	24	स्थापित
4	कापन, जिला जांजगीर–चांपा	43	स्थापित
5	तिफरा सेक्टर डी, जिला बिलासपुर	57	स्थापित
6	बरतोरी (तिल्दा), जिला रायपुर	32.32	स्थापित
7	तेंदुआ, जिला रायपुर	21	स्थापित

औद्योगिक संगोष्ठी, राजनांदगांव का दृश्य

भाग – 4

परिशिष्ट -एक

उद्योग संचालनालय की स्वीकृत पद संरचना

अ - उद्योग संचालनालय

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
1.	उद्योग संचालक	01	आई.ए.एस. (प्रतिनियुक्ति पर)
2.	अपर संचालक	03	01 प्रतिनियुक्ति हेतु सीएसआईडीसी में
3.	संयुक्त संचालक	08	06 प्रतिनियुक्ति पद 05–सीएसआईडीसी 01–एसआईपीबी
4.	संयुक्त संचालक (वित्त)	01	01 कोष एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
5.	उप संचालक	18	07 प्रतिनियुक्ति पद 05–सीएसआईडीसी 02–एसआईपीबी
6.	सहायक संचालक	27	15 प्रतिनियुक्ति पद 10–सीएसआईडीसी 02–एसआईपीबी 01–जेल विभाग 02–ग्रामोद्योग
7.	सहायक प्रबंधक	14	02 प्रतिनियुक्ति पद एसआईपीबी में
8.	सहायक लेखाधिकारी	02	02 कोष एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
9.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	03	
10.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	06	01 प्रतिनियुक्ति पर एसआईपीबी में
11.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	12	
12.	अधीक्षक	01	
13.	सहायक अधीक्षक	01	
14.	सहायक वर्ग–1	10	
15.	सहायक वर्ग–2/लेखापाल	10	

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
16.	स्टेनोटायपिस्ट / सहायक वर्ग–3	24	
17.	जूनियर ऑडिटर	03	
18.	कम्प्यूटर आपरेटर	12	
19.	वाहन चालक (नैमितिक)	12	
20.	वाहन चालक	01	
21.	दफ्तरी	04	
22.	जमादार	02	
23.	भृत्य / चौकीदार	18	
24.	भृत्य (कलेक्टर दर पर)	09	
25.	चौकीदार (कलेक्टर दर पर)	02	
26.	प्रोसेस सर्वर (कलेक्टर दर पर)	03	01–एसआईपीबी के लिये
	योग	**207**	

ब - मैदानी कार्यालय (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र)

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1	मुख्य महाप्रबंधक	04
2	महाप्रबंधक	32
3	प्रबंधक	80
4	सहायक प्रबंधक	131
5	शीघ्रलेखक वर्ग–1	04
6	शीघ्रलेखक वर्ग–2	14
7	शीघ्रलेखक वर्ग–3	28
8	सहायक अधीक्षक	03
9	सहायक वर्ग–1	36
10	सहायक वर्ग–2 / लेखापाल	77
11	स्टेनोटायपिस्ट / सहायक वर्ग–3	87
12	कम्प्यूटर आपरेटर	27
13	वाहन चालक (नैमितिक)	19
14	जमादार	27
15	भृत्य / चौकीदार	73
16	चौकीदार (नैमितिक) कलेक्टर दर पर	18
	योग	**660**

परिशिष्ट -दो

रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की स्वीकृत पद संरचना

अ - मुख्यालय

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1	रजिस्ट्रार	1
2	उप पंजीयक	1
3	सहायक पंजीयक	2
4	निरीक्षक	3
5	सहायक अधीक्षक	1
6	ऑडिटर	3
7	स्टेनोग्राफर	1
8	सहायक ग्रेड–2	2
9	सहायक ग्रेड–3	3
10	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
11	स्टेनोटॉयपिस्ट	2
12	दफ्तरी	1
13	भृत्य	3
14	प्रोसेस सर्वर	2
15	चौकीदार/फर्राश	2
16	वाहन चालक	1
	योग	**29**

ब - मैदानी कार्यालय (सहायक पंजीयक बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा)

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1	सहायक पंजीयक	4
2	निरीक्षक	4
3	ऑडिटर	4
4	सहायक ग्रेड–2	4
5	सहायक ग्रेड–3	4
6	भृत्य	4
7	प्रोसेस सर्वर	4
8	चौकीदार/फर्राश	4
	योग	**32**

परिशिष्ट -तीन

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की स्वीकृत पद संरचना

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1
2	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1
3	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	2
4	निरीक्षक वाष्पयंत्र	6
5	सहायक वर्ग–1	1
6	सहायक वर्ग–2	2
7	सहायक वर्ग–3	4
8	शीघ्र लेखक वर्ग–3	1
9	लेखापाल	1
10	स्टेनोटायपिस्ट	1
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
12	वाहन चालक	1
13	भृत्य	4
14	चौकीदार	1
	योग	**27**

बिस्किट निर्माण इकाई रायपुर का एक दृश्य

परिशिष्ट -चार

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्वीकृत पद संरचना

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1	संयोजक	1
2	संयुक्त संचालक	1
3	उप संचालक	2
4	सहायक संचालक	2
5	सहायक प्रबंधक	4
6	लेखापाल	1
7	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
8	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	1
9	सहायक वर्ग–2	1
10	सहायक वर्ग–3	1
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
12	भृत्य	2
13	चौकीदार	1
	योग	**19**

डेयरी उद्योग रायपुर का एक दृश्य

परिशिष्ट -पांच

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन की स्वीकृत पद की संरचना

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
1	प्रबंध संचालक	01	अखिल भारतीय सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
2	कार्यपालक संचालक	01	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
3	मुख्य महाप्रबंधक	07	05 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु एवं 02 पद निगम हेतु
4	महाप्रबंधक	12	05 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
5	कम्पनी सचिव	01	01 पद मुख्यालय हेतु
6	प्रबंधक	20	10 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
7	प्रबंधक (एम.आई.एस.)	01	पदोन्नति/ सीधी भर्ती, विपणन प्रभाग में प्रोग्रामर के रूप में स्वीकृत
8	सहायक प्रबंधक	24	
9	सहायक प्रबंधक (एम.आई.एस.)	02	01 पद मुख्यालय/ 01 पद विपणन प्रभाग हेतु
10	सहायक प्रबंधक तकनीकी/ निरीक्षक	03	
11	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	1	राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
12	शीघ्रलेखक वर्ग–1	01	
13	शीघ्रलेखक वर्ग–2	02	
14	शीघ्रलेखक वर्ग–3	03	
15	सहायक लेखाधिकारी	03	
16	लेखापाल	08	
17	केशियर	01	
18	सहायक वर्ग–1	18	

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
19	सहायक वर्ग–2	24	
20	सहायक वर्ग–3	36	
21	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	10	
22	तकनीशियन	03	
23	पटवारी	02	
24	वाहन चालक	15	
25	भृत्य	23	
26	माली	02	
	तकनीकी कक्ष		
27	मुख्य अभियंता	01	
28	कार्यपालन अभियंता	04	
29	सहायक अभियंता	08	
30	कनिष्ठ अभियंता	16	
31	मानचित्रकार	01	
32	सहायक मानचित्रकार	02	
33	अनुरेखक	02	
34	समयपाल	16	
35	रोड रोलर चालक	02	डाइंग केडर
36	पंप आपरेटर–1	05	
37	पंप आपरेटर–2	03	
38	प्लम्बर	05	
39	फिल्टर प्लांट आपरेटर/ मीटर रीडर	13	
40	इलेक्ट्रीशियन	03	
41	लाईनमेन	06	
42	हेल्पर	31	डाइंग केडर
43	चौकीदार	20	
44	लेबर	02	डाइंग केडर
	योग	**364**	

राज्य में स्थापित टमाटर प्रसंस्करण उद्योग, स्थल- दुर्ग

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, नवा रायपुर में स्थापित टी.वी. निर्माण इकाई का दृश्य

औद्योगिक निवेश का प्रवेश द्वार-उद्योग संचालनालय, सीएसआईडीसी, एसआईपीबी एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर अब एक ही छत के नीचे

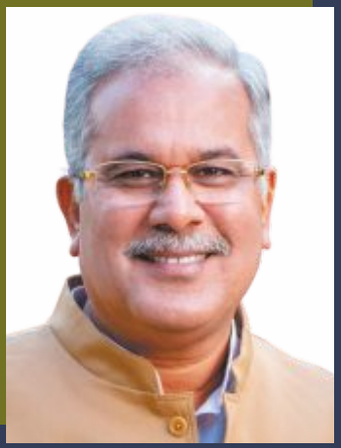

श्री भूपेश बघेल
मान. मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़

श्री कवासी लखमा
मान. मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग
छत्तीसगढ़

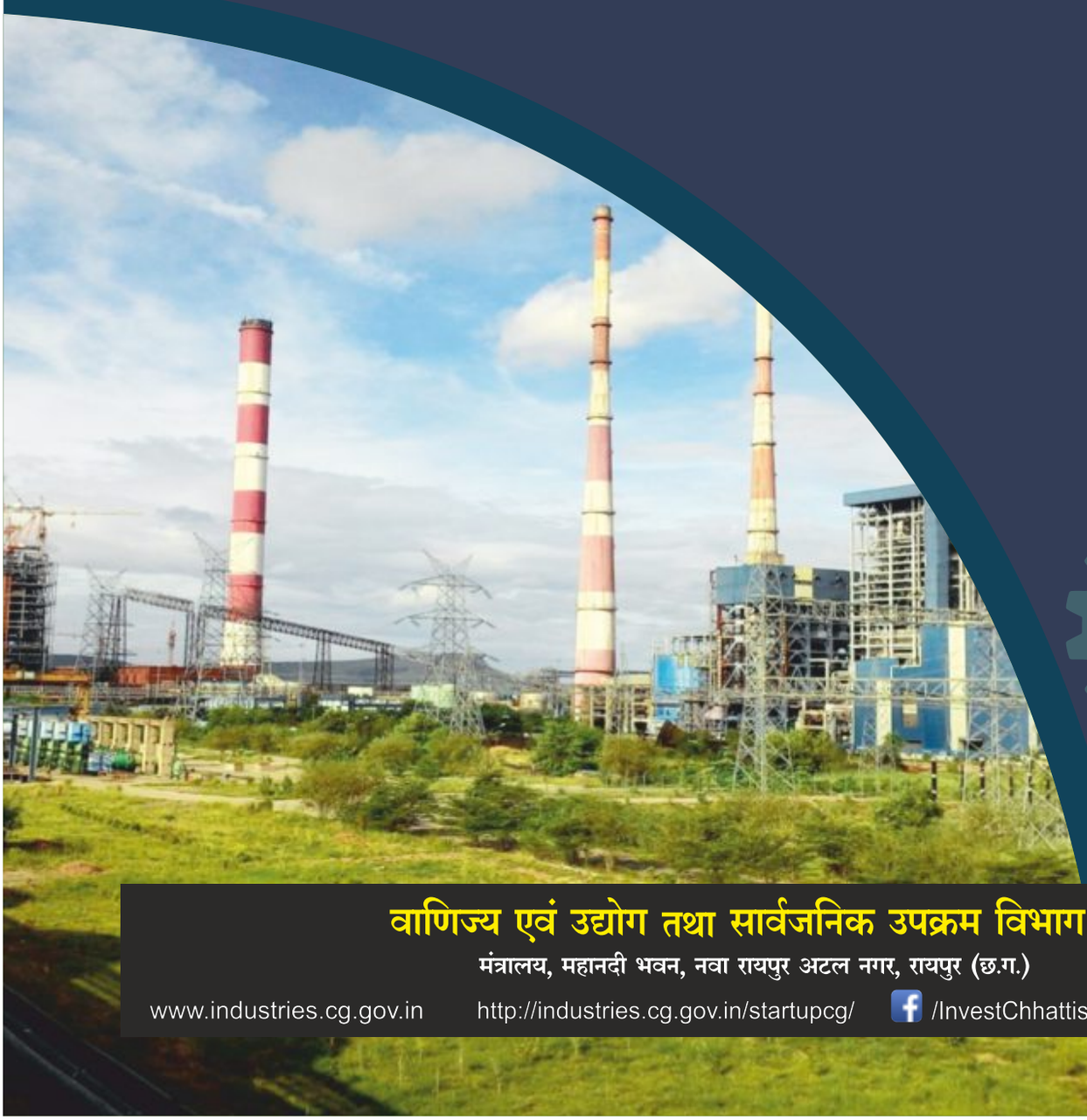

वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

www.industries.cg.gov.in http://industries.cg.gov.in/startupcg/ /InvestChhattisgarh @CGInvest

छत्तीसगढ़ संवाद